हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही

22 फरवरी, 2013

खण्ड-1, अंक-1

अधिकृत विवरण

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

विषय सूची

शुक्रवार, 22 फरवरी, 2013

	पृष्ठ संख्या
राज्यपाल का अभिभाषण (सदन की मेज पर रखी गई प्रति)	(1) 1
शोक प्रस्ताव	(1) 14
घोषणाएं :-	(1) 26
(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा	
(i) चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची	(1) 26
(ii) अनुपस्थिति के संबंध में सूचना	(1) 26
(ख) सचिव द्वारा	(1) 26
कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट	(1) 27
वाक-आऊट्स	(1) 35
कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट (पुनरारम्भण)	(1) 35

161

सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज-पत्र (1) 35

विशेषाधिकार मामले के संबंध में विशेषाधिकार समिति का प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना। (1) 37

(i) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम०एल०ए० के विरुद्ध (1) 37

(ii) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम०एल०ए० के विरुद्ध (1) 38

(iii) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम०एल०ए० के विरुद्ध (1) 39

(iv) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम०एल०ए० के विरुद्ध (1) 40

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 22 फरवरी, 2013

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में दोपहर 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कुलदीप शर्मा) ने अध्यक्षता की।

राज्यपाल का अभिभाषण
(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, in pursuance of Rule 18 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I have to report that the Governor was pleased to address the Haryana Legislative Assembly at 2.00 P.M., today, the 22nd February, 2013 under Article 176(1) of the Constitution.

A copy of the address is laid on the Table of the House.

अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सभासदों,

हरियाणा विधानसभा के इस वर्ष के प्रथम सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ।

मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्तीय संसाधन जुटाने में हरियाणा का प्रदर्शन देश के सभी राज्यों से बेहतर रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए राज्य वित्तीय संसाधनों पर योजना आयोग द्वारा गठित कार्य समूह ने दर्शाया है कि राष्ट्रीय औसत के अनुसार राज्यों ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में अनुमानित संसाधनों का 92.5 प्रतिशत संसाधन जुटाये, जबकि हरियाणा ने अनुमानित संसाधनों का 192 प्रतिशत जुटाने में सफलता प्राप्त की। अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2012–13 के लिए स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद 191820.76 करोड़ रुपये है, जबकि तीव्र अनुमानों के अनुसार 2011–12 में यह 179097.00 करोड़ रुपये रहा, जोकि वर्ष 2012–13 के लिए 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तर पर अनुमानित 5.0 प्रतिशत से अधिक है। वर्ष 2012–13 में चालू कीमतों पर राज्य की प्रतिव्यक्ति आय 1,23,554 रुपये आंकी गई है। यह वृद्धि 13.3 प्रतिशत है।

हरियाणा विकास के सभी क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वर्ष 2011–12 के लिए देश भर में गेहूं की अधिकतम उत्पादकता के लिए 15 जनवरी, 2013 को राज्य को फिर से देश के राष्ट्रपति महोदय द्वारा कृषि कर्मण अवार्ड प्रदान किया गया। राज्य ने गेहूं की 5182 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर की उच्चतम उत्पादकता भी हासिल की। मेरी सरकार के कार्यकाल में राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता में 3712.80 मैगावाट की बढ़ौत्तरी की गई। जिला झज्जर में एम्स–II में बहिरंग रोगी विभाग (ओपीडी) 24.11.2012 से चालू हुआ। एम्स–II में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान भी स्थापित हो रहा है। बाजार की अनिश्चितता तथा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय

स्तर पर अस्थिरता के बावजूद 2005 के बाद से राज्य में 61,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इसके अलावा, 97,000 करोड़ रुपये का निवेश पाइप लाइन में है। राज्य से कुल निर्यात वर्ष 2010–11 के 48,530 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2011–12 में बढ़कर 54,991 करोड़ रुपये हो गया। यह वृद्धि 13 प्रतिशत से भी अधिक है। राज्य सरकार द्वारा राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और गौ सेवा आयोग बनाये गये हैं। स्वतंत्रता सेनानियों/उनकी विधवाओं/अविवाहित बेरोजगार पुत्रियों और विकलांग अविवाहित बेरोजगार पुत्रों की सम्मान पैंशन 15 अगस्त, 2012 से बढ़ाकर 20,000 रुपये की गई है।

मेरी सरकार ने अपनी भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति, जोकि देशभर में एक आदर्श बन चुकी है, में और सुधार किया है। अगस्त, 2012 से भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति में 'लैण्ड पूलिंग स्कीम' भी जोड़ी गई है। अब भूमि के मालिक किसान विकास प्रक्रिया में भागीदार बनने का चयन कर सकते हैं।

राज्य सरकार ने पांच जातियों, नामत: जाट, जट–सिख, रोड, बिश्नोई और त्यागी को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करने, उन्हें विशेष पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत करने की हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को मान लिया है। सरकार ने इन पांच जातियों के लिये सरकारी/सरकारी उपक्रमों और स्थानीय निकायों के ग्रुप सी और डी के पदों में 10 प्रतिशत और ग्रुप ए और बी के पदों में 4 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह आरक्षण पिछड़े वर्गों को पहले से मिल रहे अधिसूचित आरक्षण के अतिरिक्त है। इसके अलावा सरकार ने राज्य की सामान्य जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकारी/सरकारी उपक्रमों और स्थानीय निकायों के ग्रुप सी और डी के पदों में 10 प्रतिशत और ग्रुप ए और बी के पदों में 4 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय भी लिया है। इन दोनों वर्गों को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए भी 10–10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है।

कृषि और सम्बद्ध गतिविधियां

इस क्षेत्र में हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कार्यरत है। मेरी सरकार ने किसानों और कृषि गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया है। इसी का नतीजा है कि इस मोर्चे पर राज्य ने बेहतरीन उपलब्धियां हासिल की हैं। वर्ष 2011–12 में खाद्यान्नों का 183.42 लाख टन रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। गेहूं के 130.69 लाख टन और चावल के 37.59 लाख टन उत्पादन के साथ गेहूं और चावल का अब तक का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। बासमती चावल का 60 प्रतिशत से अधिक निर्यात हरियाणा से होता है। किसानों को उनकी पैदावार के लाभकारी मूल्य मिल रहे हैं। रबी 2012 में, राज्य ने 87.16 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की, जोकि अब तक का रिकॉर्ड है, और पिछले वर्ष की तुलना में 17.88 लाख मीट्रिक टन (25.81 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। खरीफ 2012 में राज्य ने 38.46 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की, जोकि अब तक का एक रिकॉर्ड है और पिछले वर्ष की तुलना में 8.80 लाख मीट्रिक टन (29.67 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज हुई। सरकार उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमाणित बीजों पर सबसिडी दे रही है।

उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को 15.61 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिये गये हैं। बेकार क्षारीय भूमि के सुधार के लिए किसानों को

रियायती दरों पर जिप्सम दी जा रही है। मृदा के जैविक तत्वों में सुधार के लिए हरी खाद को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया जा रहा है।

चालू पिराई मौसम के दौरान गन्ने की अगेती, मध्यम और पछेती किस्मों का राज्य सुझावित मूल्य क्रमशः 276 रुपये, 271 रुपये और 266 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। गन्ने की बिजाई के लिए नई रिंग पिट तकनीक और गन्ने में अंतर–फसल को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

वर्ष 2012–13 में गेहूं और दलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 55.10 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। राज्य में कृषि क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वर्ष 2012–13 में 298.91 करोड रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की गई।

राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के तहत अब तक 6.30 लाख किसानों को लाया जा चुका है। संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम पायलट आधार पर चलाई जा रही है। राज्य के 18 खण्डों में मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम चलाई जा रही है।

सरकार ने कृषि उद्देश्यों के लिए ऋण लेने वाले किसानों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के पक्ष में निष्पादित दस्तावेजों पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत वसूली जाने वाली स्टाम्प ड्यूटी खत्म कर दी है। पहले यह लाभ केवल सहकारी बैंकों से ऋण लेने पर ही उपलब्ध था।

सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन और राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के तहत पॉली हाउस, सूक्ष्म सिंचाई, पानी के भण्डारण टैंकों के निर्माण आदि को प्रोत्साहित कर रही है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत वर्ष 2012–13 के लिए तीन नई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। ये हैं, नामतः लाडवा, कुरुक्षेत्र में सैंटर फॉर सबट्रॉपिकल फ्रूट्स (सीएसटीएफ); मुरथल, सोनीपत में एकीकृत मधुमक्खी विकास केन्द्र (आईबीडीसी); चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में फूल परियोजना। जिला सिरसा के मंगियाना में फल उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किया जा चुका है और इस केन्द्र के माध्यम से सिट्रस, जैतून, अनार और खजूर की नई किस्में प्रदर्शित की जा रही हैं। नई प्रौद्योगिकी की जानकारी हासिल करने के लिए घरौण्डा, करनाल का सब्जी उत्कृष्टता केन्द्र किसानों का लोकप्रिय गन्तव्य बन गया है। सरकार टिशूकल्चर तकनीकों द्वारा आलू के माइक्रो ट्यूबर्स विकसित करने के लिए शामगढ़, करनाल में एक बागवानी जैव–प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित कर रही है। फलों और सब्जियों पर कीटनाशकों के प्रभाव को कम करने के लिए कीटनाशक अवशेष घटाने की एक नई स्कीम क्रियान्वित की जा रही है।

माननीय सभासदों ! आपको याद होगा कि इस सम्मानित सदन में मैंने अपने पिछले अभिभाषण में जिला सोनीपत के गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मण्डी की महत्वाकांक्षी परियोजना का जिक्र किया था। मुझे आपको यह बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस संबंध में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस उद्देश्य के लिए लगभग 493 एकड़ भूमि अधिगृहीत की जा चुकी है। इस मण्डी को देशभर से फलों, फूलों और सब्जियों की घरेलू मण्डी और निर्यात, दोनों के लिए एक सम्भावित हब के रूप में स्थापित किया जा रहा है। भारत में अपनी

तरह की इस पहली मण्डी को विकसित देशों की मण्डियों की तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। मजबूत अग्रिम और पूर्वगामी लिंक को प्रोत्साहित करने के लिए इस परिसर में एक राष्ट्रीय बागवानी मण्डप बनाने की भी योजना है।

मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी सरकार लगभग 12,000 किलोमीटर लम्बे सड़क तंत्र के माध्यम से बाजार तक किसानों की पहुंच में सुधार करने तथा उन्हें उनके उत्पादों की अच्छी कीमत दिलवाने के अवसर प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए राज्य में चार महत्वपूर्ण स्थानों पर अति आधुनिक सुविधाओं से युक्त आधुनिक एग्रोमाल बनाने के साथ–साथ महत्वपूर्ण कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जा रहा है।

राज्य में दूध के उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हमारे पशुधन के त्वरित अनुवांशिकी सुधार के द्वारा दूध उत्पादन को और बढ़ाने के लिए सरकार की अगले पांच वर्षों में कृत्रिम गर्भाधान को 63 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत करने की योजना है। मुंह–खुर की बीमारी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने की हरियाणा राज्य की सफलता को विभिन्न राष्ट्रीय मंचों पर सराहा गया है। वर्ष 2020 तक दूध उत्पादन के स्तर को दोगुना करने और दूसरे पशु उत्पादों की बढ़ती जरूरतों की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार 'राज्य पशुधन मिशन' स्थापित करने जा रही है।

भूमि प्रशासन

राष्ट्रीय भू–अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत भू–अभिलेखों का आधुनिकीकरण करने की एक महत्वपूर्ण परियोजना चलाई जा रही है। यह राज्य में भू–अभिलेखों के प्रबंधन में एक गुणात्मक बदलाव लाने में सहायक होगी।

हरियाणा को अपनी भू–अभिलेख परियोजना–सम्पत्ति पंजीकरण, भू–अभिलेख तथा भू–नक्शों के गतिशील समेकन के लिए जी2जी परियोजना वर्ग के तहत वर्ष 2011–12 के लिए सीएसआई–निहीलेंट ई–गवर्नेंस अवार्ड प्राप्त हुआ है।

सहकारिता

हरियाणा में 35,000 से अधिक सहकारी समितियां कार्यरत हैं और इनके 57 लाख से भी अधिक सदस्य हैं। सहकारी बैंकों ने चालू वित्त वर्ष में 6833.67 करोड़ रुपये के ऋण दिये हैं। धन के तेजी से हस्तांतरण और देशभर में कहीं से भी लेनदेन के लिए सहकारी बैंक नाबार्ड के मार्गदर्शन में कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस (सी.बी.एस.) क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में हैं। इस संबंध में सहकारी बैंकों और नाबार्ड के बीच एक समझौता हुआ है।

राज्य के लिए यह गर्व की बात है कि शाहबाद सहकारी चीनी मिल को पिराई मौसम 2011–12 के लिए अन्य वसूली क्षेत्र में तकनीकी दक्षता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिला है। जिला झज्जर की प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, सिलानी को उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है।

सिंचाई एवं जल संरक्षण

हरियाणा पानी की कमी वाला राज्य है। प्रदेश में 36 मिलियन एकड़ फुट पानी की जरूरत की तुलना में केवल 14 मिलियन एकड़ फुट पानी ही उपलब्ध है। राज्य को

रावी–ब्यास नदियों के पानी में से इसके हिस्से का वैधानिक हिस्सा न मिलने से यह समस्या और भी गहरा गई है। मेरी सरकार हरियाणा के पानी के वैधानिक हिस्से को लेने और सतलुज–यमुना लिंक नहर के शीघ्र निर्माण के लिए वचनबद्ध है। मेरी सरकार राज्य के अन्दर उपलब्ध पानी का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिये भी वचनबद्ध है।

माननीय सभासदों को यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी मूल्यांकन समिति ने लखवार–ब्यासी बांध की सहमति प्रदान कर दी है और इस पर शीघ्र काम शुरू होगा। रेणुका बांध के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति मिलना भी अग्रिम चरण में है। सरकार किसाऊ बांध परियोजना के मामले की पैरवी भी कर रही है और आशा है कि उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश की सरकारें इस मुद्दे पर शीघ्र ही समझौता करेंगी। कौशल्या नदी पर कौशल्या डैम बनाया जा चुका है। एन.सी.आर. जल आपूर्ति चैनल बन चुका है और इससे गुड़गांव शहर को पानी की आपूर्ति हो रही है। दादूपुर–शाहबाद–नलवी नहर को भी लगभग दो महीनों तक 200 क्यूसिक्स पानी के साथ चलाया गया।

जल संरक्षण और इसका कुशल प्रबंधन मेरी सरकार की प्राथमिकता है। पुराने रजबाहों और नहरों का सुधार करके नहरी तंत्र से पानी के रिसाव को कम करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान 150 चैनलों का सुधार किया गया। बरवाला ब्रांच के सुधार का मुख्य कार्य 26.90 करोड़ रुपये की लागत से लगभग पूरा होने वाला है। सुधार के लिए 7500 खालों की पहचान की गई है और इनमें से 2530 खालों का सुधार किया जा चुका है। चालू वित्त वर्ष में राज्यभर में बाढ़ नियंत्रण और ड्रेनेज की 73 नई स्कीमों और 59 चल रही स्कीमों को पूरा करने पर 118 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं।

बिजली

माननीय सभासदों! मेरी सरकार बिजली उत्पादन बढ़ाकर और सम्प्रेषण एवं वितरण प्रणाली को मजबूत बनाकर राज्य के उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता की बिजली आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में उत्पादन क्षमता में बढ़ौत्तरी करने और इसी के अनुरूप सम्प्रेषण और वितरण तंत्र में निवेश करने के लिए ठोस कदम उठाये गये हैं। सरकार चालू वित्त वर्ष में उपभोक्ताओं को प्रतिदिन औसतन 1068 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति कर रही है, जबकि 2004–2005 में प्रतिदिन औसतन 578 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति की गई थी। पिछले लगभग आठ वर्षों में 340 नये सब–स्टेशन बनाये गये हैं, 574 वर्तमान सब–स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई है और 4994 किलोमीटर लम्बी नई सम्प्रेषण लाइनें बिछाई गई हैं।

1500 मैगावाट की इन्दिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना की 500 मैगावाट की तीसरी इकाई 7 नवम्बर, 2012 को चालू की गई। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के केस–2 मैकेनिज्म के तहत सी.एल.पी. इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा झज्जर में स्थापित की जा रही 1320 मैगावाट की महात्मा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना की 660 मैगावाट की दूसरी इकाई भी 19 जुलाई, 2012 को चालू की गई। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा जिला फतेहाबाद के गांव गोरखपुर में 4X700 मैगावाट के प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की परियोजना–पूर्व गतिविधियां चलाई जा रही हैं। परियोजना के पहले चरण में 700–700 मैगावाट की दो इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव है।

गांवों में वितरण तंत्र को मजबूत बनाने के लिए 500 करोड़ रुपये की लागत से पहली जनवरी, 2013 से एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी प्रणालियों के क्रियान्वयन के लिए एक व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत राज्य के 36 शहरों में ऊर्जा लेखा परीक्षा, ऑटोमैटिक मीटर रीडिंग, कस्टमर केयर इत्यादि के लिए कम्प्यूटरीकृत प्रणाली लागू की जाएगी।

मेरी सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश हेतु बेहतर माहौल सृजित किया है। स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आई.पी.पी.) द्वारा राज्य में 63 मैगावाट क्षमता की छः बॉयोमास विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। इनमें से लगभग 20 मैगावाट की दो परियोजनाएं पूर्ण होने के अंतिम चरण में हैं। औद्योगिक कचरे से विद्युत उत्पादन के लिए सह–उत्पादन के माध्यम से उद्योगों में 24.95 मैगावाट क्षमता की 11 परियोजनाएं स्थापित की गई हैं तथा 12.6 मैगावाट क्षमता की चार परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वर्ष 2011–12 के लिए सौर जल ताप प्रणालियों की स्थापना हेतु हरियाणा को देश में श्रेष्ठ राज्य नोडल एजेंसी का पुरस्कार मिला है।

ग्रामीण विकास

ग्रामीण क्षेत्रों का विकास मेरी सरकार की प्राथमिकता का विषय है। पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण, गांवों में सामाजिक और आर्थिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के सृजन तथा ग्रामीण गरीबों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा बहुत सी पहल की गई है। गांवों में टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन सुनिश्चित करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को अन्य सम्बद्ध विभागों की योजनाओं के साथ जोड़ा जा रहा है। चालू वित्त वर्ष (दिसम्बर, 2012 तक) के दौरान 72.29 लाख मानव दिवस सृजित करने के लिए मनरेगा के तहत 202.43 करोड़ रुपये खर्च किये गये, जिसमें से 37.55 लाख मानव दिवस (52 प्रतिशत) अनुसूचित जातियों तथा 28.79 लाख मानव दिवस (40 प्रतिशत) महिलाओं के लिए सृजित किये गये।

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति निर्मल बस्ती योजना का लक्ष्य अनुसूचित जाति की अधिक आबादी वाले गांवों में पक्की गलियों के साथ–साथ नालियां, जलापूर्ति पाइप लाइन, चौपालें, सामुदायिक केन्द्र और श्मशान घाटों की चारदीवारी जैसे मूल इन्फ्रास्ट्रक्चर का सृजन करना है। वर्ष 2012–13 के लिए इस योजना हेतु 44.45 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

शिक्षा

मेरी सरकार ने अपेक्षित शैक्षणिक और आधारभूत सुविधाओं तथा आसान पहुंच के साथ "सभी के लिए शिक्षा" को एक वास्तविकता बनाने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं। इसके फलस्वरूप अब प्राथमिक स्कूलों की सुविधाएं एक किलोमीटर और मिडल स्कूलों की सुविधाएं तीन किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप शत–प्रतिशत दाखिला सुनिश्चित करने के लिए बीच में स्कूल छोड़ने वाले तथा

स्कूल जाने से वंचित बच्चों की पहचान करने के लिए घर–घर जाकर बच्चों का सर्वेक्षण किया गया है। राज्य में बाल अधिकारों की सुरक्षा हेतु राज्य आयोग (एस.सी.पी.सी.आर.) भी स्थापित किया गया है। यह आयोग "शिक्षा का अधिकार" के प्रावधानों के सम्बन्ध में बच्चों की शिकायतों का भी निपटारा करेगा।

मेरी सरकार शिक्षा की उचित गुणवत्ता सुनिश्चित करने, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, माध्यमिक शिक्षा तक आसान पहुंच, उपयुक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाने इत्यादि के लिए विभिन्न आदान उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत दो प्रमुख योजनाएं नामतः सर्वशिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.) चला रही है।

हरियाणा स्कूल अध्यापक चयन बोर्ड ने 9870 प्राथमिक स्कूल अध्यापकों तथा लगभग 14 हजार स्नातकोत्तर अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिला मेवात में रिक्तियों की चिरकालिक समस्या के दीर्घावधि समाधान के तौर पर इस जिले के लिए अध्यापकों का एक अलग संवर्ग सृजित किया गया है। अध्यापक शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाला एक राज्य स्तरीय स्कूल सिलानी केशो, झज्जर में स्थापित किया जा रहा है, जोकि राज्य में स्थापित किये जा रहे बेहतरीन स्कूलों की मानव संसाधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए पेशेवर सक्षम अध्यापक तैयार करने में मदद करेगा।

यह बड़े ही गर्व और सम्मान का विषय है कि स्कूलों में केन्द्रीय प्रायोजित पायलट राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता ढांचा (एन.वी.इ.क्यू.एफ.) परियोजना लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। इस परियोजना का उद्देश्य सक्षमता आधारित प्रमाणीय व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है।

मेरी सरकार ने उच्चतर शिक्षा में क्षमता के विस्तार तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। 'मानव संसाधन विकास', 'प्रयोगशालाओं का उन्नयन', 'विज्ञान प्रदर्शनी', 'शैक्षणिक तथा भ्रमण यात्राएं', 'अनिवार्य कम्प्यूटर शिक्षा', 'स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना', 'भाषा प्रयोगशालाओं की स्थापना' जैसी योजनाओं की शुरुआत महाविद्यालयों में गुणवत्ता सुधार की दिशा में कुछ अभिनव कदम हैं। राजकीय महाविद्यालयों में अनिवार्य खेल योजना तथा सांस्कृतिक गतिविधि योजना जैसे नये कदम लागू करने से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होगा तथा इससे युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मक उद्देश्यों में लगाने में भी मदद मिलेगी। सरकार ने जींद में हरियाणा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान तथा सोनीपत में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना करने का भी निर्णय लिया है, जोकि अंततः अपने–अपने क्षेत्र में प्रमुख संस्थानों के तौर पर विकसित होंगे।

राज्य में प्रशिक्षित तकनीकी तथा पेशेवर मानव संसाधन की भारी कमी है। राज्य सरकार ने इस मांग को पूरा करने के लिए कई उपाय किये हैं। इसके फलस्वरूप हाल के वर्षों में तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकार ने राज्य में निजी तकनीकी शिक्षण संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे तकनीकी पाठ्यक्रमों के प्रवेश तथा फीस को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा निजी तकनीकी शिक्षण संस्थान (प्रवेश एवं शुल्क नियमन) अधिनियम, 2012 लागू किया है। इससे तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी।

राज्य में दक्षता विकास क्षमता बढ़ाने के लिए सोनीपत में इण्डियन इंस्टीच्यूट ऑफ इन्फॉरमेशन टैक्नोलॉजी (आई.आई.आई.टी.), जिला कुरुक्षेत्र में नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ डिजाइन (एन.आई.डी.), राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, कुण्डली में आई.आई.टी. दिल्ली का विस्तार परिसर, पिंजौर में नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ फैशन टैक्नोलॉजी (एन.आई.एफ.टी.), जिला झज्जर और रिवाड़ी में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किये जा रहे हैं। रोहतक में लगभग 200 एकड़ भूमि पर भारतीय प्रबन्धन संस्थान स्थापित किया जा रहा है। सैंट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी (सी.आई.पी.इ.टी.) जल्द ही दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल के अपने नए परिसर में स्थापित हो जाएगा।

युवा एवं खेल

मेरी सरकार की खेल नीति ने बेहतरीन परिणाम दिये हैं। लंदन ओलम्पिक में भारत द्वारा जीते गये छः पदकों में से हरियाणा के खिलाड़ियों ने चार पदक जीते। राज्य सरकार ने अब पैराओलम्पिक खिलाड़ियों को भी अन्य खिलाड़ियों के समान ही नकद पुरस्कार देने का निर्णय लिया है।

खेल एवं शारीरिक क्षमता परीक्षा (स्पैट) बच्चों को खेलों की ओर आकर्षित करने में बहुत सफल रही है। राज्य में खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के दृष्टिगत सरकार 227 राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसरों का निर्माण कर रही है, जिनमें से 158 परिसर पूरे हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 232 मिनी स्टेडियम भी बनाए गए हैं।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा

मेरी सरकार राज्य में सस्ती, सुगम तथा गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि एस.आर.एस.–2011 के अनुसार राज्य में पहली बार शिशु मृत्यु दर एक वर्ष के अंदर चार बिन्दु तक कम हुई है। यह 13 विशेष नवजात चिकित्सा इकाइयां (एस.एन.सी.यू.) खोलने, प्रतिरक्षण कार्यक्रम को मजबूत बनाने तथा सभी प्रसूति केन्द्रों पर नवजात देखभाल सुविधाओं और गृह आधारित प्रसव उपरान्त देखभाल सुविधाओं की शुरुआत जैसे कुछ महत्वपूर्ण उपायों के कारण सम्भव हुआ है। हरियाणा देश का तीसरा राज्य है, जिसने पेंटावेलेंट वैक्सीन की शुरुआत की है।

एनीमिया रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु 11.7 लाख स्कूली बच्चों तथा कॉलेज जाने वाली 34792 लड़कियों की जांच करके एक विशेष पहल की गई है। 11 वर्ष से ऊपर के सभी बच्चों के लिए आयरन फॉलिक एसिड का साप्ताहिक अनुपूरक कार्यक्रम भी हाल ही में शुरू किया गया है।

शहरी क्षेत्रों, विशेषकर शहरी मलिन बस्तियों में सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए सरकार राज्य शहरी स्वास्थ्य मिशन शुरू करने जा रही है। आयुष विभाग ने जिला अस्पतालों में तीन संकायों का एक–एक चिकित्सक उपलब्ध करवाकर भारतीय चिकित्सा प्रणाली की पहुंच को मजबूत बनाया है। वर्ष 2012 में पंचकूला में एक पंचकर्म केन्द्र खोला गया।

सरकार ने तम्बाकू तथा निकोटीन तत्वों वाले गुटका और पान मसाला पर प्रतिबंध लगाया है। राज्य में खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया है तथा सभी प्रकार के खाद्य कारोबारियों के लिए लाइसेंस प्रणाली शुरू की गई है।

योग्य चिकित्सा पेशेवरों की कमी से निपटने के लिए मेरी सरकार ने राज्य के विभिन्न भागों में चार मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का एक साहसिक कदम उठाया है। भारतीय चिकित्सा परिषद् (एम.सी.आई.) ने शैक्षणिक सत्र 2012--13 के लिए 100 विद्यार्थियों के प्रवेश की अनुमति दी है तथा बी.पी.एस. महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर कलां, सोनीपत में 100 विद्यार्थियों के प्रथम बैच को दाखिला दिया जा चुका है। राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, नलहड़ (मेवात) का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, करनाल पर कार्य शीघ्र ही शुरू होने जा रहा है। चौथा मेडिकल कॉलेज कर्मचारी राज्य बीमा निगम (इ.एस.आई.सी.) द्वारा फरीदाबाद में स्थापित किया जा रहा है।

पेयजल एवं स्वच्छता

सरकार हरियाणा के सभी गांवों और कस्बों में पाइप लाइन के माध्यम से पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा रेतीले और सूखा प्रभावित जिलों और मेवात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेवात के लिए राजीव गांधी पेयजल संवर्धन परियोजना कार्यान्वित की जा चुकी है। ट्यूबवैल सैग्मेंट के अंतर्गत 245 गांवों और रेनीवैल सैग्मेंट के अंतर्गत 258 गांवों में पेयजल पंहुचाया जा चुका है। इन्दिरा गांधी पेयजल योजना के तहत अनुसूचित जाति के 10.05 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं।

रिवाड़ी और महेन्द्रगढ़ जिलों के नाजुक क्षेत्रों में जलापूर्ति के संवर्धन तथा वितरण प्रणाली के सुधार के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से ऋण तथा केन्द्रीय सहायता भी जुटायी गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 17 कस्बों में पेयजल आपूर्ति तथा सीवरेज सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सोनीपत शहर के लिए बरसाती पानी की निकासी हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा एक परियोजना अनुमोदित की गई है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के तहत सोनीपत और पानीपत शहरों के लिए सीवरेज सुविधाओं के सुधार तथा सीवेज ट्रीटमैंट प्लांटों के निर्माण हेतु भी दो परियोजनाएं अनुमोदित करवाई गई हैं। सोनीपत शहर के लिए रेनीवैल पर आधारित 95 करोड़ रुपये लागत की एक पेयजल परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

अम्बाला शहर तथा भिवानी शहर (फेज–II) में जलापूर्ति तथा सीवरेज सुविधाओं के संवर्धन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित की गई है। शिवालिक क्षेत्र तथा दक्षिणी हरियाणा में जलापूर्ति के संवर्धन हेतु 13वें वित्त आयोग के अनुदान के तहत 11 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

मेरी सरकार खासतौर पर समाज के कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपाय तथा योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस समय विभिन्न सामाजिक सुरक्षा उपायों तथा पेंशन योजनाओं के तहत 20 लाख से अधिक व्यक्ति लाभ प्राप्त कर रहे

हैं। अनुसूचित जातियों को उपलब्ध करवाई गई सुरक्षा से सम्बन्धित सभी मामलों की छानबीन, जांच तथा निगरानी के लिए राज्य अनुसूचित जाति आयोग शीघ्र स्थापित किया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास

मेरी सरकार महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। लिंग समानता एक चिंता का विषय है और इसे हासिल करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012 लागू करके हरियाणा राज्य महिला आयोग को वैधानिक दर्जा दिया गया है।

बाल कल्याण पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी गठित किया गया है। आंगनवाड़ियों को रंग–बिरंगा तथा आकर्षक बनाया गया है ताकि तीन से छः वर्ष के बीच की आयु के बच्चे उनकी तरफ स्वाभाविक रूप से आकर्षित हों। चालू वर्ष के दौरान सोनीपत में किशोरों के लिए किशोर विकास सदन के नए भवन का निर्माण किया गया है।

श्रम कल्याण

आर्थिक विकास के लिए सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध बेहद जरूरी हैं। मेरी सरकार द्वारा कार्य स्थल पर कामगारों को औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने तथा संगठित के साथ–साथ असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं। सरकार, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड तथा हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से कामगारों के लिए कल्याण योजनाएं चला रही है। पानीपत और गुड़गांव में मुख्य दुर्घटना नियंत्रण इकाइयां तथा दो 'हाइजीन लेबोरेटरी' भी स्थापित की जा रही हैं।

कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के प्रावधानों के अनुपालन हेतु ऑनलाइन स्व–प्रमाणन की प्रक्रिया से औद्योगिक वातावरण और अधिक उपभोक्ता हितैषी बन गया है।

उद्योग एवं वाणिज्य

हरियाणा ने वर्ष 2013 को 'औद्योगिक विकास एवं रोजगार वर्ष' घोषित किया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एम.एस.एम.ई.) में रोजगार देने की बड़ी क्षमता है और ये विनिर्माण क्षेत्र की रीढ़ हैं। सरकार ने इनके इस महत्व को समझते हुए एम.एस.एम.ई. क्षेत्र की सहायता के लिए समूह विकास योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक–निजी भागीदारी में सांझा सुविधा केन्द्र स्थापित करने की नीति अपनाई है, ताकि इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता, उत्पादों के मानकीकरण, गुणवत्ता परीक्षण और अंकन सुविधा, उत्पादों के ब्राण्ड को बढ़ावा देने के साथ विपणन पहल इत्यादि और रोजगार अवसरों को बढ़ावा मिले। राज्य में नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप और औद्योगिक सम्पदाओं के विकास तथा वर्तमान औद्योगिक सम्पदाओं के विस्तार के माध्यम से औद्योगिक आधारभूत संरचना को मजबूत बनाया जा रहा है। दिल्ली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के तहत इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास की कई नई योजनाएं भी बनाई गई हैं। राज्य में आई.टी./आई.टी.ई.एस. क्षेत्र में चार विशेष आर्थिक जोन पहले से ही कार्यरत हैं और 35 आई.टी./साइबर पार्कों की स्थापना के लिए

लाइसेंस दिए जा चुके हैं। इसके अलावा सरकार ने "हरियाणा लघु खनिज रियायत, खनिज स्टाकिंग एवं परिवहन और अवैध खनन निवारण नियम, 2012" को विस्तृत रूप से संशोधित एवं अधिसूचित किया है ।

शहरी विकास

माननीय सभासदो! जैसाकि मैंने पिछले वर्ष अपने अभिभाषण में कहा था कि मेरी सरकार दिल्ली मैट्रो के बहादुरगढ़ तक विस्तार परियोजना की पैरवी कर रही है। मुझे आपसे यह बात सांझा करने में बड़ी खुशी हो रही है कि मुण्डका से बहादुरगढ़ तक दिल्ली मैट्रो के विस्तार की 1991 करोड़ रुपए की परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। हाल ही में, इस बारे में 2 फरवरी, 2013 को हरियाणा सरकार और डी.एम.आर.सी.एल. के बीच समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मैसर्ज रैपिड मैट्रो गुड़गांव लिमिटेड के माध्यम से 1088 करोड़ रुपए लागत की 5.1 किलोमीटर लम्बी एक मैट्रो लिंक परियोजना क्रियान्वित की जा रही है, जोकि गुड़गांव में सिकन्दरपुर स्टेशन से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (एन.एच.8) को जोड़ेगी। इस मैट्रो का ट्रायल रन 2 अक्तूबर, 2012 को हो चुका है। सिकन्दरपुर स्टेशन से गुड़गांव के सैक्टर–56 तक मैट्रो लिंक के विकास का कार्य पहली अक्तूबर, 2012 को दिया जा चुका है और इसके सितम्बर, 2015 तक बनने की सम्भावना है। दो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स (आर.आर.टी.एस.) कॉरिडोर नामत: दिल्ली–गुड़गांव–रिवाड़ी– अलवर (158 किलोमीटर) और दिल्ली–सोनीपत–पानीपत (111 किलोमीटर) को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जाएगा।

फरीदाबाद शहर में 'जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन' (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अन्तर्गत पेयजल के संवर्धन, सीवरेज, ठोस कचरा प्रबंधन, गरीबों के लिए आवास और शहरी परिवहन के सुदृढ़ीकरण इत्यादि की 848 करोड़ रुपये से अधिक राशि की 7 परियोजनाएं चल रही हैं। लघु और मध्यम कस्बों के लिए शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास स्कीम (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) के अन्तर्गत 7 कस्बों के लिए एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन, सीवरेज सिस्टम और सीवेज ट्रीटमैंट प्लांट की 9 परियोजनाएं भी चल रही हैं। राज्य सरकार ने विकास कार्यों में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी शहरी भागीदारी योजना (आर.जी.एस.बी.वाई.) शुरू की है।

आवास

मेरी सरकार समाज के सभी वर्गों, विशेषकर आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों को छत मुहैया कराने के लिए कृत–संकल्प है। हरियाणा आवास बोर्ड राज्य के विभिन्न स्थानों पर 10729 मकानों का निर्माण कर रहा है। बी.पी.एल. परिवारों के लिए सस्ते मकानों के निर्माण हेतु सरकार ने एक नीति बनाई है, जिसके अन्तर्गत लाइसेंसशुदा कालोनियों में जहां कहीं भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 50 वर्गमीटर के प्लाट उपलब्ध हैं, वे हरियाणा आवास बोर्ड को फ्लैटों के निर्माण के लिए हस्तांतरित किए जाएंगे। ऐसे 4741 प्लाटों का कब्जा बोर्ड द्वारा ले लिया गया है और 6103 फ्लैटों का निर्माण आरम्भ हो चुका है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सस्ते फ्लैटों के स्टॉक में बढ़ौत्तरी करने में बड़ी सहायता मिलेगी।

महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग (ए) और बी.पी.एल. परिवारों को 3.88 लाख प्लाट आबंटित किए जा चुके हैं। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 6752 मकान निर्मित किए जा चुके हैं और 10081 मकानों का निर्माण प्रगति पर है।

एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के तहत 15 शहरों में सीवरेज, जलापूर्ति, गलियों तथा स्ट्रीट लाइटों इत्यादि समेत मूल आधारभूत संरचना के साथ मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए मकानों के निर्माण हेतु 25 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। अब तक 8163 आवास इकाइयों का निर्माण किया जा चुका है तथा 1493 इकाइयों का कार्य प्रगति पर है।

सड़क एवं परिवहन

सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा परिवहन आर्थिक विकास की एक अन्य प्रमुख आवश्यकता है। तद्नुसार सरकार ने ग्रामीण सड़कों समेत सड़कों को चौड़ा करने तथा इनके उन्नयन के लिए अपने संसाधनों का निवेश किया है। 29 रेलवे ओवर ब्रिज तथा 40 पुलों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। गुड़गांव–फरीदाबाद और बल्लबगढ़–सोहना रोड बी.ओ.टी. आधार पर पूरे किये गए हैं। रायगलिकपुर (राजस्थान सीमा)–नारनौल–महेन्द्रगढ़–दादरी–भिवानी–खरक कॉरीडोर को डिजाइन, निर्माण, वित्त, परिचालन तथा हस्तांतरण (डी.बी.एफ.ओ.टी.) आधार पर चारमार्गी बनाने के लिए कन्सेशन एग्रीमैंट किया गया है।

कुल 81.25 किलोमीटर (नया निर्माण 73.13 किलोमीटर) लम्बी रोहतक–झज्जर–रिवाड़ी रेलवे लाइन 602.78 करोड़ रुपए की संशोधित लागत से पूरी हो चुकी है तथा 8 जनवरी, 2013 को आम जनता के लिए खोली जा चुकी है। लगभग 499.90 करोड़ रुपए की लागत से 80 किलोमीटर लम्बी सोनीपत–जीन्द रेलवे लाइन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

मेरी सरकार हरियाणा के लोगों को सुरक्षित तथा प्रभावी परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। हरियाणा परिवहन ने अपने बस बेड़े को बढ़ाकर 3800 बसों का किया है तथा शहरों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा परिवहन गुड़गांव, फरीदाबाद और पंचकूला में अन्तर–नगरीय (इन्ट्रा–सिटी) सेवाएं चला रहा है। हरियाणा परिवहन ने 25 मल्टी एक्सल सुपर लग्जरी वोल्वो ए.सी. बसें शामिल करके अपनी उत्तम सेवा भी आरम्भ की है। चालक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा फलतः सड़क सुरक्षा बढ़ाने के दृष्टिगत बहादुरगढ़ और रोहतक में दो चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कार्य कर रहे हैं तथा कैथल और भिवानी में दो और संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं।

पर्यटन

सूरजकुण्ड हस्तशिल्प मेले को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का किया गया है। इस वर्ष मेले में विदेशी दस्तकारों तथा सांस्कृतिक दलों ने बड़े पैमाने पर भागीदारी की। राज्य होटल प्रबंधन संस्थान, रोहतक ने कार्य करना शुरू कर दिया है। दमदमा, जिला गुड़गांव में शिविर स्थलों के निर्माण, पानीपत–कुरुक्षेत्र–पिंजौर (फेज–1) मेगा टूरिस्ट सर्किट तथा गांव ऊंचा सीवन,

जिला करनाल के पुराने बादशाही पुल के सुधार का कार्य पूरा हो चुका है। हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा प्राचीन बौद्ध स्तूप, कुरुक्षेत्र के जीर्णोद्धार तथा सौन्दर्यकरण का कार्य भी किया जा रहा है।

पर्यावरण

पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण से बचाव मेरी सरकार की प्राथमिकता है। राज्य तंत्र एवं वैधानिक निकायों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण से सम्बन्धित विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों को लागू किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा के महत्व के सम्बन्ध में लोगों में चेतना पैदा करने के लिए जागरुकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा गुड़गांव, पंचकूला और रोहतक में 3 निरन्तर परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र स्थापित किए गए हैं और इन्होंने परिवेश वायु गुणवत्ता आंकड़े प्रदान करना आरम्भ कर दिया है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने जनवरी, 2013 से स्थापना सहमति और परिचालन सहमति आवेदनों की ऑन लाइन प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। इससे प्रक्रिया को सुचारू बनाने तथा दक्षता एवं पारदर्शिता सुधारने में बड़ी मदद मिलेगी।

रक्षा कार्मिकों का कल्याण

मेरी सरकार रक्षा कार्मिकों, भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। शौर्य पुरस्कार विजेताओं को एकमुश्त पुरस्कार तथा वार्षिकी के भुगतान की नीति पहले से ही चलाई जा रही है। मकद पुरस्कारों तथा वार्षिकी की राशि देश में सर्वाधिक है। विकलांग भूतपूर्व सैनिकों को हरियाणा परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। राज्य की शहरी सम्पदाओं में डिफैंस कालोनियां विकसित की जा रही हैं।

शासन तथा कानून एवं व्यवस्था

रोहतक में पहली पायलट ई–जिला परियोजना चलाने के बाद सरकार ने आने वाले वर्ष के दौरान इस परियोजना को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना के तहत विभिन्न मिशन परियोजनाएं नामत: स्मार्ट कार्ड आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वाणिज्यिक करों, स्वास्थ्य, परिवहन, वित्त, राजस्व, पंचायतों और खजानों का कम्प्यूटरीकरण तथा समेकित वित्त प्रबंधन प्रणाली क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

मेरी सरकार एक ऐसा कर ढांचा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे कि राज्य में व्यापार और उद्योग की वृद्धि तथा विकास को बढ़ावा मिले। व्यापार तथा उद्योग की शिकायतों का निपटारा शीघ्रता और दक्षता से किया जाता है।

राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्ण है। मेरी सरकार पुलिस के प्रभावी संचालन तथा लोगों के बचाव एवं सुरक्षा में सुधार के लिए, पुलिस के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

माननीय सभासदो! मैंने अपनी सरकार के कुछ प्रमुख कदमों तथा मुख्य क्षेत्रों पर प्रकाश डाला है। जन हितैषी नीतियों तथा प्रभावी कार्य संस्कृति के चलते आधुनिक हरियाणा के अपने विजन को शीघ्र ही साकार करना राज्य की नियति है। हरियाणा की विकास गाथा

ने चहुँ ओर ऋद्धि पैदा की है। इसका श्रेय वास्तव में राज्य के शांतिप्रिय और मेहनती लोगों को जाता है। मैं राज्य के समावेशी एवं सतत् विकास हेतु निरंतर कार्य करते रहने के अपनी सरकार के संकल्प को दोहराता हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर आप सकारात्मक परिचर्चा करेंगे तथा ठोस और रचनात्मक सुझाव देंगे।

मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

जय हिन्द!

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, the Parliamentary Affairs Minister will make obituary references.

श्री इन्द्र कुमार गुजराल, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय यह सदन भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल के 30 नवम्बर, 2012 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 4 दिसम्बर, 1919 को जेहलम (अब पाकिस्तान) में हुआ। उन्होंने 'भारत छोड़ो आन्दोलन' के दौरान सक्रिय भाग लिया और जेल में अनेक यातनाएं सही। वे सन् 1964, 1970 तथा 1992 में तीन बार राज्य सभा के सदस्य चुने गये। वे सन् 1989 तथा 1998 में दो बार लोक सभा के सदस्य चुने गए। वे सन् 1976 से 1980 के दौरान सोवियत संघ में भारत के राजदूत भी रहे। वे सन् 1967 से 1976 के दौरान केन्द्रीय राज्य मंत्री तथा सन् 1989 से 1990 व 1996 से 1997 के दौरान केन्द्रीय मंत्री भी रहे।

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में रहते हुए उन्हें विदेशी मामले, संसदीय मामले, संचार, सूचना एवं प्रसारण, आवास एवं शहरी विकास तथा योजना जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे सन् 1996 से 1998 के दौरान दो बार राज्य सभा में सदन के नेता भी रहे। उन्होंने अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक भारत के प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया।

उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ, प्रखर राजनेता एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री परमानन्द, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री परमानन्द के 23 जनवरी, 2013 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 7 अक्तूबर, 1939 को जींद जिले के अहीरका गांव में हुआ। वे सन् 1987 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। वे सन् 1987 से 1989 के दौरान हरियाणा

मंत्रिमण्डल में कैबिनेट मंत्री रहे। उन्हें मंत्रिमण्डल में रहते हुए लोक निर्माण, शिक्षा, खाद्य एवं आपूर्ति, वन एवं वन्य जीव संरक्षण जैसे महत्त्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ।

वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो समाज के कमज़ोर एवं गरीब वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहे तथा उनके उत्थान के लिए अथक प्रयास किए।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री किशन सिंह सांगवान, भूतपूर्व संसद सदस्य

यह सदन भूतपूर्व संसद सदस्य श्री किशन सिंह सांगवान के 3 दिसम्बर, 2012 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 15 जून, 1948 को सोनीपत जिले के नूरन खेड़ा गांव में हुआ। वे सन् 1987 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। वे सन् 1990 से 1991 के दौरान हरियाणा मंत्रिमण्डल में कैबिनेट मंत्री रहे तथा मंत्रिमण्डल में रहते हुए उन्हें कृषि, शिक्षा तथा उद्योग जैसे महत्त्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ। वे सन् 1998, 1999 तथा 2004 में तीन बार लोक सभा के सदस्य चुने गए।

सामाजिक कार्यों में उनकी गहरी रुचि थी। वह एक मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे तथा उन्होंने जीवन पर्यन्त गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों की भलाई एवं उत्थान के लिए काम किया।

उनके निधन से देश एक अनुभवी सांसद एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी

यह सदन उन श्रद्धेय स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा करते हुए देश की आज़ादी के संघर्ष में अपना अमूल्य योगदान दिया। मातृभूमि की अस्मिता और गौरव को बनाए रखने के लिए कठोर यातनाएं सही और कई बार जेल गए, लेकिन विदेशी शासकों के आगे कभी नहीं झुके।

इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं :

1. श्री प्यारे लाल शर्मा, गांव भौर सैदां, जिला कुरुक्षेत्र।
2. श्री भीम सिंह, गांव भराण, जिला रोहतक।
3. राव बंसी राम, गांव बासदूधा, जिला रेवाड़ी।

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

4. श्री छज्जू राम, गांव दानीपुर, जिला अम्बाला।
5. श्री गोर्धन, गांव ठरवी, जिला फतेहाबाद।
6. श्री नौरंग चहल, गांव मदनहेड़ी, जिला हिसार।
7. राव हरि सिंह, गांव खातीवास, जिला झज्जर।
8. श्री विद्या सागर, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी।
9. श्री कर्मदेव मोर, गांव खानपुर खुर्द, जिला सोनीपत।
10. श्री पतराम, गांव बाढ़सा, जिला झज्जर।
11. सरदार बलकार सिंह, जिला करनाल।
12. श्री रामजीवन, गांव भंडगी, जिला रेवाड़ी।
13. श्री बुद्धन सिंह, गांव दमदमा, जिला गुड़गांव।
14. श्री जागेराम, गांव चमनपुरा, जिला झज्जर।
15. श्री सरदार चंद, गांव मंधार, जिला यमुनानगर।
16. श्री टेकराम, गांव महमूदपुर, जिला फरीदाबाद।
17. सरदार हरदयाल सिंह, बरवाला, जिला हिसार।
18. श्री रामकिशन, गांव खाण्डा खेड़ी, जिला हिसार।
19. श्री रामशरण आर्य, जिला करनाल।

यह सदन इन श्रद्धेय स्वतन्त्रता सेनानियों को शत्–शत् नमन करता है तथा इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के शहीद

यह सदन उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा और देश की एकता एवं अखण्डता को बनाए रखने के लिए अदम्य साहस, पराक्रम, वीरता और शौर्य का परिचय देते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

इन महान् वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं :–

1. लैफ्टिनेंट कर्नल, महावीर सिंह, गांव कासनी खुर्द, जिला भिवानी।
2. लैफ्टिनेंट कमांडर धर्मेन्द्र सिंह, जिला रोहतक।
3. सूबेदार प्रकाश, गांव भाकली, जिला रेवाड़ी।

4. उप–निरीक्षक प्रदीप, गांव नयागांव (भाला), जिला रेवाड़ी।
5. सहायक उप–निरीक्षक ओमप्रकाश, गांव बामनौली, जिला झज्जर।
6. हवलदार बिरेन्द्र सिंह, गांव भुंगारका, जिला महेन्द्रगढ़।
7. हवलदार नरेन्द्र कुमार, गांव जुलानी, जिला जींद।
8. हवलदार नरेश कुमार, गांव बारड़ा, जिला महेन्द्रगढ़।
9. हवलदार सतबीर सिंह, गांव निम्बी, जिला महेन्द्रगढ़।
10. हवलदार हनुमान, गांव धिराणा कलां, जिला भिवानी।
11. हवलदार प्रताप सिंह, गांव कौथल कलां, जिला महेन्द्रगढ़।
12. हवलदार रोहताश, गांव नांगल पठानी, जिला रेवाड़ी।
13. हवलदार मान सिंह, गांव ढाणी टोडा, जिला भिवानी।
14. हवलदार महेश, गांव जटवाड़ा, जिला झज्जर।
15. नायक रविन्द्र कुमार, गांव माईकलां, जिला भिवानी।
16. नायक सत्यवीर सिंह, गांव लुखी, जिला रेवाड़ी।
17. लांस नायक अमरजीत सिंह, गांव खटकड़, जिला जींद।
18. सारजैंट रामकुमार, गांव सटारी, जिला यमुनानगर।
19. सारजैंट सुनील कुमार, गांव कोसली, जिला रेवाड़ी।
20. सिपाही संदीप सिंह, गांव मोरवाला, जिला भिवानी।
21. सिपाही संदीप सिंह, गांव रानीला, जिला भिवानी।
22. सिपाही नरेश कुमार, गांव वजीरपुर, जिला झज्जर।
23. सिपाही हितेन्द्र कुमार, गांव गोरिया, जिला झज्जर।
24. सिपाही प्रहलाद सिंह, गांव शहादत्त नगर, जिला रेवाड़ी।
25. नायब सूबेदार श्री राम निवास, गांव रसीन, जिला करनाल।

यह सदन इन महान् वीरों की शहादत पर उन्हें शत्–शत् नमन करता है और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन

कृषि मंत्री श्री परमवीर सिंह के चाचा **सरदार हरजीत सिंह;**

विधायक श्री भारत भूषण बतरा की भाभी **श्रीमती संतोष बतरा;**

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

विधायक श्री नरेश शर्मा के पिता **श्री रामनारायण शर्मा;**

विधायक श्री दिलबाग सिंह की चाची **श्रीमती सर्वजीत कौर;**

विधायक श्री जरनैल सिंह की माता **श्रीमती हमीर कौर;**

पूर्व मंत्री श्री जोगेन्द्र जोग के पुत्र **श्री सर्वजीत सिंह;**

पूर्व मंत्री श्री रामस्वरूप रामा के भाई **श्री सुन्दर सिंह;**

पूर्व मंत्री श्री अत्तर सिंह सैनी के चचेरे भाई **श्री प्रीतम सिंह;**

पूर्व मंत्री श्री सतबीर सिंह मलिक की पत्नी **श्रीमती सत्यावती;**

पूर्व मुख्य संसदीय सचिव श्री रण सिंह मान की माता **श्रीमती चिड़िया देवी;**

पूर्व विधायक श्री रण सिंह बैनीवाल की पत्नी **श्रीमती शांति देवी;**

पूर्व विधायक कामरेड हरपाल सिंह की माता **श्रीमती अपार कौर;**

पूर्व विधायक श्री जगदीश चंद्र की पत्नी **श्रीमती शन्नों देवी;**

पूर्व विधायक श्री हामिद हुसैन की पत्नी **श्रीमती जुबैदा बेगम;**

पूर्व विधायक श्री जगजीत सिंह की चाची **श्रीमती भगवानी देवी;** तथा

पूर्व विधायक श्री रोशन लाल की माता **श्रीमती शांति देवी** के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हैदराबाद में बम विस्फोट

यह सदन 21 फरवरी, 2013 को हैदराबाद में हुए बम विस्फोटों में मारे गए निर्दोष लोगों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

आतंकवादी हमले की यह बर्बरता पूर्ण कार्यवाही मानवता के माथे पर एक कलंक है। यह कार्यवाही आपसी भाई–चारे को बिगाड़ने तथा समाज में कटुता की भावना फैलाने के उद्देश्य से की गई है। देश के लोग राष्ट्र की एकता और अखण्डता को बनाए रखने के लिए इस जघन्य कार्य के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हैं तथा हम सब मिलकर समाज विरोधी ताकतों के कुत्सित इरादों को कभी भी सफल नहीं होने देंगे।

सह सदन इस जघन्य कार्य की घोर निन्दा करता है तथा शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

इलाहाबाद महाकुंभ दुर्घटना

यह सदन 10 फरवरी, 2013 को इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर कुंभ मेले के दौरान मची भगदड़ में मरने वाले श्रद्धालुओं के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

देश के कोने–कोने से लाखों तीर्थ यात्री महाकुंभ के अवसर पर स्नान करने के लिए गए हुए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर मची भगदड़ में अनेक लोगों की जानें चली गईं, जो कि एक हृदय विदारक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।

सह सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

---

1. श्रीमती प्रभात शोभा, संयोजक, अखिल भारतीय प्रोहिबिशन कौंसिल, न्यू दिल्ली तथा पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्व० प्रोफेसर शेर सिंह की धर्मपत्नी का आज नई दिल्ली में निधन हो गया है। वे 87 वर्ष की थी। श्रीमती प्रभात शोभा एक प्रख्यात समाजसेवी थी तथा प्रभावी सुधारवादी एवं प्रख्यात आर्य समाजी एवं स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से संबंध रखती थी। वह एक प्रसिद्ध एवं महान वैदिक विद्वान पंडित बुधदेव विद्यालंकार जी की सुपुत्री थी।

2. श्री राजेन्द्र सिंह जून, विधायक के ससुर कर्नल शमशेर सिंह अहलावत का देहांत दिनांक 23 दिसम्बर, 2012 को हुआ।

3. श्री अनिल धन्तोड़ी, विधायक जी की सास श्रीमती विद्यावती के देहांत पर यह सदन गहरा दुःख प्रकट करता है।

श्रीमती प्रभात शोभा संयोजक अखिल भारतीय प्रोहिबिशन काउंसिल, नई दिल्ली एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री शेर सिंह की धर्मपत्नी का भी आज नई दिल्ली में निधन हो गया है। वे 87 वर्ष की थी और प्रख्यात समाजसेवी थी। वे प्रभावी सुधारवादी, आर्य समाजी एवं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंध रखती थीं। वे एक प्रसिद्ध एवं महान् वैदिक विद्वान पंडित बुधदेव विद्यालंकार जी की सुपुत्री थीं। इसके अलावा हमारे विधायक साथी श्री राजेन्द्र सिंह जून के ससुर कर्नल शमशेर सिंह अहलावत एवं श्री अनिल धन्तोड़ी जी की सास श्रीमती विद्यावती के दुःखद निधन पर यह सदन गहरा शोक प्रकट करता है एवं शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन 21 फरवरी, 2013 को हैदराबाद में हुए बम विस्फोटों में मारे गए निर्दोष लोगों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। आतंकवादी हमले की बर्बरतापूर्ण कार्यवाही मानवता के माथे पर एक कलंक है। यह कार्यवाही आपसी भाईचारे को बिगाड़ने तथा समाज में कटुता की भावना फैलाने के उद्देश्य से की गई है। देश के लोग राष्ट्र की एकता और अखण्डता को बनाए रखने के लिए इस जघन्य कार्य के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हैं तथा हम सब मिलकर समाज विरोधी ताकतों के कुत्सित इरादों को कभी भी सफल नहीं होने देंगे।

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

यह सदन इस जघन्य कार्य की घोर निन्दा करता है तथा शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन जिला करनाल के स्वतंत्रता सेनानी श्री रामशरण आर्य के 22 फरवरी, 2013 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। श्री रामशरण आर्य ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1935-36 में देश में चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था और जेल भी गए थे। उन्होंने सन् 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय भाग लिया था तथा मातृभूमि की रक्षा के लिए अनेक कष्ट सहे थे।

यह सदन जिला करनाल के गांव रसीन के नायब सूबेदार श्री रामनिवास के 19 फरवरी, 2013 को हुए दु:खद निधन पर भी गहरा शोक व्यक्त करता है।

यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन 10 फरवरी, 2013 को इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर कुंभ मेले के दौरान मची भगदड़ में मरने वाले श्रद्धालुओं के दु:खद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

देश के कोने-कोने से लाखों तीर्थ यात्री महाकुंभ के अवसर पर स्नान करने के लिए गए हुए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर मची भगदड़ में अनेक लोगों की जाने चली गई, जो कि एक हृदय विदारक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा (थानेसर) : स्पीकर सर, पार्लियामैंट्री एफेयर्स मिनिस्टर महोदय द्वारा जो शोक प्रस्ताव इस सदन में रखे गये हैं, मैं भी अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से उनमें शामिल होता हूं। श्री इन्द्र कुमार गुजराल, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जिनका निधन 30 नवम्बर, 2012 को हुआ है। उनका जन्म 4 दिसम्बर, 1919 को जेहलम में हुआ। उन्होंने 'भारत छोड़ो आन्दोलन' के दौरान सक्रिय भाग लिया और जेल में अनेक यातनाएं सही। वे सन् 1964, 1970 तथा 1992 में तीन बार राज्य सभा के सदस्य चुने गये। वे सन् 1989 तथा 1998 में दो बार लोक सभा के सदस्य चुने गए। वे सन् 1976 से 1980 के दौरान सोवियत संघ में भारत के राजदूत भी रहे। वे सन् 1967 से 1976 के दौरान केन्द्रीय राज्य मंत्री तथा सन् 1989 से 1990 व 1996 से 1997 के दौरान केन्द्रीय मंत्री भी रहे। केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में रहते हुए उन्हें विदेशी मामले, संसदीय मामले, संचार, सूचना एवं प्रसारण, आवास एवं शहरी विकास तथा योजना जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालने को सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे सन् 1996 से 1998 के दौरान दो बार राज्य सभा में सदन के नेता भी रहे। उन्होंने अप्रैल, 1997 से मार्च, 1998 तक भारत के प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया। उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ, प्रखर राजनेता एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री परमानन्द, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री रहे उनका निधन 23 जनवरी, 2013 को हुआ है। मुझे भी उनके साथ विधायक रहने का मौका मिला। वे एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध

रखते थे जिन्होंने सारी उम्र समाज के कल्याण के लिए काम किया। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री किशन सिंह सांगवान, भूतपूर्व संसद सदस्य का निधन 3 दिसम्बर, 2012 को हुआ है। उनका जन्म 15 जून, 1948 को सोनीपत जिले के नूरन खेड़ा गांव में हुआ। वे सन् 1987 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे सन् 1990 से 1991 के दौरान हरियाणा मंत्रिमण्डल के कैबिनेट मंत्री रहे तथा मंत्रिमण्डल में रहते हुए उन्हें कृषि, शिक्षा तथा उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ। वे सन् 1998, 1999 तथा 2004 में तीन बार लोक सभा के सदस्य चुने गए।

सामाजिक कार्यों में उनकी गहरी रूचि थी। वह एक मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे तथा उन्होंने जीवन पर्यन्त गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों की भलाई एवं उत्थान के लिए काम किया। उनके निधन से देश एक अनुभवी सांसद एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

स्पीकर सर, हमारे उन स्वतन्त्रता सेनानियों की वजह से हम आज आजादी से और प्रजातंत्र में सुख की सांस ले रहे हैं, वे आहिस्ता-आहिस्ता हमारे से जुदा होते जा रहे हैं। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से उन श्रद्धेय स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं जिन्होंने राष्ट्र की सेवा करते हुए देश की आजादी के संघर्ष में अपना अमूल्य योगदान दिया। मातृभूमि की अस्मिता और गौरव को बनाए रखने के लिए कठोर यातनाएं सही और कई बार जेल गए, लेकिन विदेशी शासकों के आगे कभी नहीं झुके। इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम क्रम संख्या 1 से क्रम संख्या 18 तक पार्लियामैंट्री एफेयर्स मिनिस्टर महोदय ने पढ़े हैं मैं भी अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इन श्रद्धेय स्वतन्त्रता सेनानियों को शत्-शत् नमन करता हूं और इनके शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता हूं, जिन्होंन मातृभूमि की रक्षा और देश की एकता और अखण्डता को बनाए रखने के लिए अदम्य साहस, पराक्रम, वीरता और शौर्य का परिचय देते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने जो एक से लेकर 24 तक हरियाणा के शहीदों के नाम पढ़े हैं, मैं भी इनके साथ अपने को जोड़ता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तानी फोर्सिज द्वारा जम्मू कश्मीर में लाइन आफ कंट्रोल के साथ हमारे जिन दो जवानों के सिर काटे गए हैं, उन दोनों शहीदों के नाम भी इस शोक प्रस्ताव में शामिल कर लिए जाएं। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इन महान वीरों की शहादत पर उन्हें शत्-शत् नमन करता हूं और इनके शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से कृषि मंत्री श्री परमवीर सिंह के चाचा सरदार हरजीत सिंह, विधायक श्री भारत भूषण बतरा की भाभी श्रीमती संतोष बतरा,

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

विधायक श्री नरेश शर्मा के पिता श्री रामनारायण शर्मा, विधायक श्री दिलबाग सिंह की चाची श्रीमती सर्वजीत कौर, विधायक श्री जरनैल सिंह की माता श्रीमती हमीर कौर, पूर्व मंत्री श्री जोगेन्द्र जोग के पुत्र श्री सर्वजीत सिंह, पूर्व मंत्री श्री रामस्वरूप रामा के भाई श्री सुन्दर सिंह, पूर्व मंत्री श्री अत्तर सिंह सैनी के चचेरे भाई श्री प्रीतम सिंह, पूर्व मंत्री श्री सतबीर सिंह मलिक की पत्नी श्रीमती सत्यावती, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव श्री रण सिंह मान की माता श्रीमती चिड़िया देवी, पूर्व विधायक श्री रण सिंह बैनीवाल की पत्नी श्रीमती शांति देवी, पूर्व विधायक कामरेड हरपाल सिंह की माता श्रीमती अपार कौर, पूर्व विधायक श्री जगदीश चंद्र की पत्नी श्रीमती शम्नों देवी, पूर्व विधायक श्री हामिद हुसैन की पत्नी श्रीमती जुबैदा बेगम, पूर्व विधायक श्री जगजीत सिंह की चाची श्रीमती भगवानी देवी तथा पूर्व विधायक श्री रोशन लाल की माता श्रीमती शांति देवी के दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा कि पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्वर्गीय प्रोफेसर शेर सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती प्रभात शोभा तथा राजेन्द्र सिंह जून, विधायक के ससुर कर्नल शमशेर सिंह अहलावत और अनिल धंतौड़ी, विधायक की सास श्रीमती विद्यावती के नाम भी इस शोक प्रस्ताव में शामिल कर लिए जाएं। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से 21 फरवरी, 2013 को हैदराबाद में हुए बम विस्फोटों में मारे गए निर्दोष लोगों के दु:खद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। आतंकवादी हमले की यह बर्बरता पूर्ण कार्यवाही मानवता के माथे पर एक कलंक है। यह कार्यवाही आपसी भाई चारे को बिगाड़ने तथा समाज में कटुता की भावना फैलाने के उद्देश्य से की गई है। देश के लोग राष्ट्र की एकता और अखण्डता को बनाए रखने के लिए इस जघन्य कार्य के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हैं तथा हम सब मिलकर समाज विरोधी ताकतों के कुत्सित इरादों को कभी भी सफल नहीं होने देंगे। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इस जघन्य कार्य की घोर निन्दा करता हूं और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से जिला करनाल के स्वतंत्रता सेनानी श्री रामशरण आर्य के 22 फरवरी, 2013 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। श्री रामशरण आर्य ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सन् 1935-36 में देश में चलाए गए सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लिया और जेल गए। उन्होंने सन् 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में भी सक्रिय भाग लिया तथा मातृभूमि की रक्षा के लिए अनेक कष्ट सहे।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से जिला करनाल के गांव रसीन के नायब सूबेदार, श्री रामनिवास के 19 फरवरी, 2013 को हुए दु:खद निधन पर भी गहरा शोक व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से 10 फरवरी, 2013 को इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर कुंभ मेले के दौरान मची भगदड़ में मरने वाले श्रद्धालुओं के दुःखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। देश के कोने-कोने से लाखों तीर्थ यात्री महाकुंभ के अवसर पर स्नान करने के लिए गए हुए थे लेकिन दुर्भाग्यवश इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर मची भगदड़ में अनेक लोगों की जानें चली गईं, जो कि एक हृदय विदारक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ एक नाम और लेना चाहूंगा कि परिवहन विभाग के कर्मचारी नेता श्री नरेन्द्र सिंह, ड्राईवर जिनका अम्बाला में आंदोलन के दौरान दो-तीन दिन पहले दुर्घटना में देहांत हो गया है, उनका नाम भी इस शोक प्रस्ताव में जोड़ लिया जाये। इसके अलावा हमारी भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख श्री वी०के० सिंह की माता की जा भी देहांत हो गया है इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि उनकी माता जी का नाम भी इस शोक प्रस्ताव में जोड़ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, ये नाम शोक प्रस्ताव की सूची में जोड़ लिये जायेंगे।

श्री अनिल विज (अम्बाला कैंट) : अध्यक्ष महोदय, पिछले सैशन से लेकर इस सैशन के बीच में जिन लोगों ने राष्ट्र और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया उनमें से जो लोग हमें छोड़कर चले गये उनके बारे में पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर ने शोक प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किये हैं। मैं भी अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से उनसे सहमत हूं। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल के 30 नवम्बर, 2012 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। इसी तरह से भूतपूर्व मंत्री श्री परमानंद के 23 जनवरी, 2013 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं भूतपूर्व संसद सदस्य श्री किशन सिंह सांगवान के 3 दिसम्बर, 2012 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। श्री किशन सिंह सांगवान हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और मेरे अच्छे मित्र भी थे उनके निधन पर मैं गहरा शोक प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से शोक प्रस्ताव में क्रम संख्या 1 से लेकर 18 तक हमारे स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम पार्लियामैंटरी अफेयर्ज ने गिनाए हैं मैं भी उन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं और इसी तरह से हरियाणा के शहीदों का नाम क्रम संख्या 1 से 24 तक हमारे पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर ने गिनाए हैं मैं भी उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे जिन दो सैनिकों की सीमा पर गर्दन काट दी गई जिससे सारा देश आहत हुआ उस पर भी मैं गहरा शोक प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, शोक प्रस्ताव में कुछ अन्य महत्वपूर्ण नाम प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें विधायकों के कुछ महत्वपूर्ण रिश्तेदार हैं उन पर भी मैं गहरा शोक प्रकट करता हूं। इसी तरह से 21 फरवरी को यानी कल हैदराबाद में हुए बम विस्फोट में अनेकों लोग मारे गए। मैं उनके असामयिक निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, जिला करनाल के स्वतंत्रता सेनानी श्री राम शरण आर्य के 22 फरवरी, 2013 को हुए दुःखद निधन पर और करनाल के गांव रसीन के शहीद नायब सूबेदार श्री राम निवास के 19 फरवरी, 2013 को हुए दुःखद निधन पर भी मैं गहरा शोक प्रकट करता हूं। इसी तरह से 10 फरवरी को इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर कुंभ मेले के दौरान मची भगदड़ में मरने वाले श्रद्धालुओं के दुःखद व

[श्री अनिल विज]

असामयिक निधन पर भी मैं गहरा शोक प्रकट करता हूं और कल कर्मचारी नेता की हड़ताल के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर भी मैं गहरा शोक प्रकट करता हूं।

श्री सतपाल : अध्यक्ष महोदय, ***

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, ***

Mr. Speaker : Whatever has been said by the Mr. Anil Vij and Shri Satpal Sangwan may be excluded from the proceedings of the House as obituary references are being made in the House. Anil Vij ji, please take your seat.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, विज साहब ने सुना नहीं क्योंकि जिस कर्मचारी नेता का ये जिक्र कर रहे हैं वह नाम आपने शोक प्रस्ताव में ऐड कर लिया है।

श्रीमती रेणुका बिश्नोई (आदमपुर) : अध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर ने जो शोक प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करती हूं और अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस (बी०एल०) की तरफ से शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरा शोक प्रकट करती हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूं कि इन दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें तथा इनके परिवारों के सदस्यों को यह असामयिक दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

श्री कली राम पटवारी (सफीदों) : स्पीकर सर, 08 दिसम्बर, 2012 को पिल्लूखेड़ा में एक सिलेण्डर फटने से हुई आगजनी में एक सौरभ नाम का एक लड़का 11 अन्य आदमियों की जान बचाते हुए खुद शहीद हो गया। मैं चाहता हूं कि उसका नाम भी आज के शोक प्रस्ताव में शामिल कर लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, यह नाम भी आज के शोक प्रस्ताव में शामिल कर लिया जाये।

श्रीमती अनिता यादव (मुख्य संसदीय सचिव) : स्पीकर सर, श्री सुनील कुमार सुपुत्र श्री रामानंद, गांव बिहाली, जिला महेन्द्रगढ़ सी०आर०पी०एफ० में तैनात था। वह झारखण्ड में नक्सलियों के साथ हुए आमने-सामने के मुकाबले में सीने पर छह गोलियां लगने से शहीद हो गया था। इस मुकाबले में सी०आर०पी०एफ० के तीन जवान शहीद हो गये थे जिनमें से श्री सुनील कुमार भी एक था। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस नाम को भी आज के शोक प्रस्ताव में शामिल कर लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, यह नाम भी आज के शोक प्रस्ताव में शामिल कर लिया जाये।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I associate myself with the Obituary References made by the Hon'ble Parliamentary Affairs Minister and the feelings expressed by other Members of the House. During the last Session and the present Session, many great personalities have passed away. I deeply feel grieved on the sad demise of Shri Inder Kumar Gujral, former Prime Minister of India; Shri Parma Nand, former Minister of Haryana; Shri Kishan Singh Sangwan, former Member of Parliament; all Freedom Fighters and Martyrs of Haryana; relatives of

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Agriculture Minister and Members of Haryana Vidhan Sabha, Ex-Ministers, Ex CPS and Ex-MLAs, whose names have been mentioned by the Parliamentary Affairs Minister and innocent persons, who lost their lives yesterday in Hyderabad Bomb-blasts and other lists/names mentioned by the Hon'ble Ministers/MLAs may also be included in Obituary References. Shri Inder Kumar Gurjal was an intellectual and shrewd diplomat and also a veteran leader. During the pre-independence era, he took active part in the freedom struggle. He was elected to Rajya Sabha for three times and to Lok Sabha for two times. He served the country as Union Minister of State for about 9 years and Union Minister for about 4 years. He held very important portfolios in Government of India. He also remained Leader of the House Twice. He served as Prime Minister of the country in the years 1997-1998. He was a seasoned parliamentarian, Statesman and able administrator. Shri Parma Nand was elected to this House in the year 1987. He remained Minister in Haryana Cabinet for two years and held a number of important portfolios. He was a great social worker and served the State with full dedication. Shri Kishan Singh Sangwan was also elected to this House in the year 1987 and served the State as a Cabinet Minister in the years 1990 and 1991. He held important portfolios. He was elected to the Lok Sabha for three times. He was a great social worker, who was well-known for his good qualities. Freedom Fighters and Martyrs are the foundation stone of the society, who do not care for their own lives and serve the country selflessly and dedicate their whole life for the protection of the rights and lives of the people of the country. Many relatives of our Minister, Members, Ex-Ministers and Ex-MLAs have left us and we will not forget all of them for long. I also feel grieved on the sad demise of Smt. Prabhat Shobha, Convener, All India Prohibition Council, New Delhi and wife of Late Prof. Sher Singh, former Union Minister, who died today at Delhi. She was 87 years. She was a social worker and pious lady. Thirty-six persons have lost their lives and many persons were injured during the sad incident of stampede on 10th February, 2013 and fire incident on 25th February, 2013 in Maha Kumbh Mela 2013 at Allahabad (U.P.). Their deaths have caused irreparable loss to the country as well as their families. As per the news reports, at least 18 persons have lost their lives and about 100 persons were injured yesterday, the 21st February, 2013, in the twin bomb-blasts at Hyderabad (A.P.), which is a very sad incident for the whole country. Their deaths have also caused irreparable loss to the country as well as their families. (Interruption)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के भूतपूर्व उप-मुख्यमंत्री श्री चन्द्रमोहन की दूसरी धर्मपत्नी व सदन की माननीया सदस्या श्रीमती रेणुका बिश्नोई की जेठानी श्रीमती फ़िजा का भी निधन हुआ है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि उनका नाम भी शोक प्रस्ताव में शामिल कर लिया जाये। (विघ्न)

Mr. Speaker : I pray to Almighty to give peace to the departed souls. I will convey the feelings of this House to the bereaved families. Now, I request all of you to kindly stand up to pay homage to the departed souls for two minutes.

(At this stage, the House stood up in silence for two minutes as a mark of respect and to pay homage to the departed souls.)

घोषणाएं

(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा

(i) चेयरपर्सन्ज़ के नामों की सूची

Mr. Speaker : Hon'ble Members, under Rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following Members to serve on the Panel of Chairperson:

1. Prof. Sampat Singh, MLA
2. Shri Anand Singh Dangi, MLA
3. Shri Rampal Majra, MLA
4. Smt. Kavita Jain, MLA

(ii) अनुपस्थिति के संबंध में सूचना

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I am to inform the House that I have received an intimation from Shri Bharat Bhushan Batra, MLA in which he has expressed his inability to attend the sitting of the House today, the 22nd February, 2013 due to sad demise of his sister-in-law.

(ख) सचिव द्वारा

Mr. Speaker : Now, the Secretary will make an announcement.

सचिव : महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने अगस्त, 2012 में हुए सत्र में पारित किये थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है सादर, सदन की मेज पर रखता हूँ।

1. The Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2012.
2. The Haryana Private Technical Educational Institution (Regulation of Admission and Fee) Bill, 2012.
3. The Haryana State Commission for Women Bill, 2012.
4. The Haryana Appropriation (No.3) Bill, 2012.
5. The Maharshi Dayanand University (Second Amendment) Bill, 2012.
6. Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan (Second Amendment) Bill, 2012.
7. The Kurukshetra University (Second Amendment) Bill, 2012.
8. Chaudhary Devi Lal University Sirsa (Second Amendment) Bill, 2012.
9. The Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill, 2012.
10. The Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill, 2012.

11. The Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) (Amendment) Bill, 2012.
12. The Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2012.
13. The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2012.
14. The Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill, 2012.

कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now I report the time table of various business fixed by the Business Advisory Committee.

"The Committee met at 11.30 A.M. on Friday, the 22nd February, 2013 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs, the Assembly whilst in Session, shall meet on Monday at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. and on Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday will meet at 10.00 A.M. and adjourn at 2.00 P.M. without question being put.

On Friday, the 22nd February, 2013 the Assembly shall meet immediately half an hour after the conclusion of the Governor's Address and adjourn after the conclusion of Business entered in the List of Business for the day.

The Committee further recommends that on Monday, the 11th March, 2013, the Assembly shall meet at 2.00 P.M. and adjourn after the conclusion of the Business entered in the List of Business.

The Committee, after some discussion, further recommends that the Business on 22nd, 26th to 28th February, 2013 and 1st, 4th to 6th and 11th March, 2013 be transacted by the Sabha as under :-

THE HOUSE WILL MEET IMMEDIATELY HALF AN HOUR AFTER THE CONCLUSION OF THE GOVERNOR'S ADDRESS ON THE 22ND FEBRUARY, 2013	1. Laying a copy of the Governor's Address on the Table of the House. 2. Obituary References. 3. Presentation and adoption of First Report of the Business Advisory Committee. 4. Papers to be laid/re-laid on the Table of the House. 5. Presentation of Four Preliminary Reports of the Committee of Privileges and extension of time for presentation of the final reports thereon.

[Mr. Speaker]

SATURDAY, THE 23RD FEBRUARY, 2013	HOLIDAY
SUNDAY, THE 24TH FEBRUARY, 2013	HOLIDAY
MONDAY, THE 25TH FEBRUARY, 2013	HOLIDAY
TUESDAY, THE 26TH FEBRUARY, 2013 (2.00 P.M.)	1. Questions Hour. 2. Motion under Rule-121. 3. Discussion on Governor's Address.
WEDNESDAY, THE 27TH FEBRUARY, 2013 (10.00 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Resumption of discussion on Governor's Address and Voting on Motion of Thanks. 3. Presentation, Discussion and Voting on Supplementary Estimates (2nd Instalment) for the year 2012-2013.
THURSDAY, THE 28TH FEBRUARY, 2013, (10.00 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Non-official Business.
FRIDAY, THE 1ST MARCH, 2013 (10.00 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Presentation of Budget Estimates for the year 2013-2014.
SATURDAY, THE 2ND MARCH, 2013	HOLIDAY
SUNDAY, THE 3RD MARCH, 2013	HOLIDAY
MONDAY, THE 4TH MARCH, 2013 (2.00 P.M.)	1. Questions Hour. 2. General Discussion on Budget Estimates for the year 2013-2014. 3. Presentation of Reports of the Assembly Committees.
TUESDAY, THE 5TH MARCH, 2013 (10.00 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Resumption of General Discussion on Budget Estimates for the year 2013-2014. 3. Legislative Business.

WEDNESDAY, THE 6TH MARCH, 2013 (10.00 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Resumption of General Discussion on Budget Estimates for the year 2013-2014 and reply by the Finance Minister thereon. 3. Discussion and Voting on Demands for Grants on Budget Estimates for the year 2013-14.
THURSDAY, THE 7TH MARCH, 2013	HOLIDAY
FRIDAY, THE 8TH MARCH, 2013	OFF-DAY
SATURDAY, THE 9TH MARCH, 2013	HOLIDAY
SUNDAY, THE 10TH MARCH, 2013	HOLIDAY
MONDAY, THE 11TH MARCH, 2013 (2.00 P.M.)	1. Questions Hour. 2. Motion under Rule 15 regarding Non-stop sitting. 3. Motion under Rule 16 regarding adjournment of the Sabha *sine-die*. 4. Papers to be laid, if any. 5. Presentation of Reports of the Assembly Committees. 6. The Haryana Appropriation Bill in respect of Supplementary Estimates (2nd Instalment) for the year 2012-2013. 7. The Haryana Appropriation Bill in respect of Budget Estimates for the year 2013-2014. 8. Legislative Business. 9. Any other Business.".

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion-

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move-

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, 6 महीने के बाद हाउस आता है। इस सैशन के दौरान गवर्नेंस एड्रैस पर भी चर्चा होनी होती है और बजट पर भी चर्चा होनी होती है। अब आपने गवर्नेंस एड्रैस के सिर्फ दो दिन रखे हैं इसमें सम्बंधित मिनिस्टर्ज ने रिप्लाई भी देनी है और इस पर सभी MLSs ने बोलना भी है। जिसके लिए आपने जो समय निर्धारित किया है वह बहुत कम है क्योंकि आप ने सैशन केवल 11 तारीख तक ही चलाने का कहा है जिसके बीच में 9 तो छुट्टियां ही हैं। सर, हाउस को इतना छोटा करने का क्या कारण है? मेरा आपसे निवेदन है कि इस सैशन को लम्बा किया जाए क्योंकि सभी MLAs जनता द्वारा चुन कर आते हैं और उनको अपने हल्के की मांग रखने का समय मिलना चाहिए क्योंकि 6 महीने बाद हम मिलते हैं और साल में एक सैशन होता है जो 8 या 9 सीटिंग का होता है जो बहुत कम समय का होता है। इसलिए हमारा तो आपसे यह अनुरोध है कि सैशन का समय बढ़ाया जाए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री अशोक कुमार अरोड़ जी जोकि हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व स्पीकर और एक सीनियर मंत्री भी रहे हैं उन्होंने आज जो सदन में बजट सत्र की अवधि बढ़ाए जाने की मांग उठाई है तो इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि सभी दलों के नेता बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में सदस्य होते हैं। श्री अशोक कुमारा अरोड़ा जी की पार्टी के नेता भी बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी के सदस्य हैं जो अज्ञात कारणों की वजह से इस कमेटी में नहीं आ पाये हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी सदस्य हैं वह तो इस कमेटी में आये थे। उनके साथ बाकायदा डिटेल में सदन की कार्यवाही पर चर्चा की गई थी। अध्यक्ष महोदय मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पिछला रिकॉर्ड निकलवाकर दिखवा लीजिये जब माननीय श्री अशोक कुमार अरोड़ा जी स्पीकर हुआ करते थे, उन दिनों में एक दिन से ज्यादा इन्होंने कभी बजट पर चर्चा नहीं करवाई और विपक्ष के सदस्यों को बाहर निकाल कर सदन में कुंडी लगाकर फिर चर्चा किया करते थे और एक दिन में ही बजट को निपटा दिया जाता था। (विघ्न)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, सुरजेवाला जी तो हमेशा पुरानी बातें की करते रहते हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, यह माननीय श्री अशोक कुमार अरोड़ा जी का कंडक्ट है। अरोड़ा जी ने सन् 1999 से लेकर सन् 2005 तक एक दिन भी नॉन आफिशयल डे नहीं किया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, ... (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, सन् 1999 से लेकर सन् 2005 तक माजरा जी भी पार्लियामैंटरी सेक्रेटरी रहे थे इनको भी मालूम होगा कि एक दिन भी नॉन आफिशयल डे नहीं किया गया था लेकिन आपने तो इसके बावजूद भी नॉन आफिशयल डे किया है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हमारे पास जो इनके रिजोल्यूशंज या मोशंज आये हैं हम उन सबको कंसीडर करेंगे तथा विपक्ष के साथियों को अपनी बात रखने का पूरा समय दिया जायेगा। ये लोग पहले भी कभी सदन के अंदर नहीं रहे हैं और न ही इस बार ये लोग सदन के अंदर रहने वाले हैं। इन लोगों को तो केवल सदन से बाहर जाने का बहाना चाहिए होता है। (शोर एवं व्यवधान) सदन की अवधि बढ़ाने या न बढ़ाने से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन लोगों को तो सदन से बहिर्गमन करके चले ही जाना है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं...(शोर एवं व्यवधान)

सहकारिता मंत्री (श्री सतपाल) : भाईयो और मेरे वर्दी फ्रैंड्स असेंबली को ताला लगाना किसी प्रजातांत्रिक बॉडी का काम नहीं होता है this is not the work of a democratic body... (interruption)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, प्लीज मुझे आप एक मिनट के लिए अपनी बात रखने का मौका दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, Mr. Ashok Arora Ji is speaking. So, one Member can speak at a time. (interruption) आप लोग बैठिये। अरोड़ा जी, अब अपनी बात रखिये।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, बार-बार जब भी पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर जी खड़े होते हैं तो कहते हैं कि हम लोग कुंडी लगाकर सदन की कार्यवाही चलाते थे। मैं आपके माध्यम से पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर जी से पूछना चाहता हूं कि कुंडी लगाकर इनकी कितनी बार पिटाई की गई यह इस बारे में अपनी सफाई दें? (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अरोड़ा जी, आपको शायद मालूम नहीं है कि ये पिटाई वाला रवैया तो आप लोगों का है जो किसी को जहाज में पीटते हैं या किसी को फार्म हाउस में पीटा करते हैं। यह कांग्रेस का रवैया नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : रणदीप जी, आप पहले भी कहते रहे हो कि हमारे वक्त कुंडी लगा देते थे, आपकी कितनी बार पिटाई की गई थी?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अरोड़ा जी, यह तो आप ही बताइये कि आपकी कितनी बार पिटाई हुई थी। (विघ्न)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, जब कभी भी कोई बात आती है पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर साहब पुरानी बातों का जिक्र करने लग जाते हैं चलो मान लिया ... (हंसी)... (शोर एवं व्यवधान) आप लोग पूरी बात तो सुनते ही नहीं हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अरोड़ा जी, अब तो मान ही लो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनंद सिंह दांगी : अरोड़ा जी, आप अपनी बात कहते रहो, आपको रोक कौन रहा है? (हंसी)...(शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, please let him speak.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि 10-15 दिन ही हाउस चले तो यह ठीक नहीं है, इसको लंबा करने में हर्ज क्या है? यह कार्यवाही पहले 9 दिन चला करती थी या 8 दिन चला करती थी इसका कोई महत्व नहीं है। अगर महत्व है तो केवल इस बात का है कि आप रूल्ज कमेटी की मीटिंग बुलाकर इस बारे में रूल्ज में डाल दें कि सत्र उतने ही दिन चलेगा जितने दिन के लिए नियम में तय किया गया है कि चाहे किसी की भी सरकार क्यों न हो ताकि सारे मैम्बर्ज को सदन में अपनी बात रखने का मौका मिल सके। यदि

[श्री अशोक कुमार अरोड़ा]

ऐसा नहीं होता है तो बार-बार जो भी सरकार सत्ता में आयेगी तो उसके सामने यही प्रश्न उठेगा कि सदन की सीटिंग्ज को कम कर दिया गया है। पंजाब विधान सभा के रूल्ज में यह निहित है कि सैशन 40 दिन तक चलना है और हिमाचल विधान सभा के रूल्ज में सैशन की अवधि 60 दिन की निर्धारित की गई है। अत: मैंने कोई माड़ी बात नहीं कही है यह तो हरेक के लिए बराबर है।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, ...

Mr. Speaker : Mr. Vij, your party leader was present in the B.A.C.

Sh. Anil Jij : Even then I have got a right to speak, Sir.

Mr. Speaker : Vij ji, please resume your seat.

श्री अनिल विज : सर, सदन के पटल पर जो यह बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट रखी गई है मैं उस पर अपने विचार रखना चाहता हूं। सदन में अपनी बात रखने का हर सदस्य का अधिकार है और मैं अपनी पार्टी का लीडर भी हूं (हंसी व विघ्न)... सर, मुझे बोलने का हक है।

Parliamentary Affairs Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : May I respectfully ask you? Do you disagree with the representation of BJP and their agreement in the Business Advisory Committee? (interruption)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, सदन में अपनी बात रखने का हर सदस्य का अधिकार होता है।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, आप मुझे बोलने का मौका तो दीजिये।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : विज साहब, क्या आप गुर्जर जी से सहमत नहीं हैं? (विघ्न) गुर्जर जी तो बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट से सहमत हैं। (विघ्न) गुर्जर साहब बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी के सदस्य हैं और इन्होंने इसकी रिपोर्ट पर अपनी सहमति प्रकट भी की थी।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, जैसाकि बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पर सहमति के बारे में अभी सुरजेवाला जी ने कहा है कि उस पर भी अपने विचार रखूंगा लेकिन आप मुझे बोलने का मौका तो दीजिये। सत्र की सीटिंग्ज कम से कम दिन की रखने की जो यह परंपरा बनती जा रही है। यह प्रजातंत्र के लिए बहुत घातक है।

Mr. Speaker : Have you asked me whether I will allow you to speak?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, आपने ही तो इनको अलाऊ किया है।

Mr. Speaker : Vij ji, first you ask me to allow you to speak.

श्री अनिल विज : ठीक है, स्पीकर साहब आप मुझे बोलने के लिए अलाऊ कीजिये।

Mr. Speaker : Alright, allowed to speak.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं दो बातों के ऊपर बोलना चाहूंगा।

Mr. Speaker : No, you can speak only on the report of Business Advisory Committee.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पर ही बोलूंगा और उसके साथ-साथ जो आपसे हमारी शिकायतें हैं उनको भी कहना चाहूंगा। सर, अमंग द स्टेट्स आज जो सदन की कार्यवाही कम से कम दिन बुलाने की परंपरा आ गई है, यह परंपरा प्रजातंत्र के लिए बहुत ही घातक है। वैसे देखा जाये को इसके निदान के लिए सैंट्रल लेजिसलेशन आ जाना चाहिए जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्रियों और सरकारों को पाबंद किया जा सके कि वो साल के 365 दिनों में कम से कम 60, 70 या 100 दिन की हाउस कार्यवाही चलाये। स्पीकर सर, 9 सिटिंग अब हो रही हैं दो सिटिंग पहले हुई थी इस प्रकार 365 दिन में कुल मिलाकर 10 या 12 दिन हाउस चलता है। (शोर एवं व्यवधान) बाकी के दिनों में मुख्यमंत्री महोदय *** तरीके से सरकार चलाते हैं इसके ऊपर रोक लगाना बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : अनिल विज ने यह जो शब्द कहा इसे रिकार्ड न किया जाए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, आज बी०ए०सी० की जो मीटिंग हुई है इसमें इनके दल के साथी सदस्य शामिल थे और वे इससे सहमत थे। How can he disagree here in the House?

Mr. Speaker : But he disagree with his party on so many matters.

Shri Randeep Singh Surjewala : Then I cannot help him.

Mr. Speaker : So, I will give him time to speak.

Shri Anil Vij : Let me complete, Sir. अध्यक्ष महोदय, मेरी इस बारे में पहली रिक्वैस्ट यह है कि हमारा जो माइक बंद कर देते हैं यह न किया करें। कम से कम हमें अपनी पूरी बात तो कह लेने दिया करें।

श्री अध्यक्ष : अनिल विज जी, मैं आपकी बात का मतलब समझ गया हूं। अब आप बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है मुझे अभी आपके बारे में भी कुछ बात कहनी है। I have got the right, Sir.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ऐक्चुअल में इनका जो दल है उस पूरे दल का समर्थ ये अकेले ही ले लेते हैं। सच बात तो यह है कि अनिल विज जी का ही इनके दल में तानाशाही पूर्ण रवैया है। (शोर एवं व्यवधान) न ये कविता जी को बोलने देते हैं न ये घनश्याम दास जी को बोलने देते हैं और न ही ये गुर्जर साहब को बोलने देते हैं।

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि श्री अनिल विज जी पहले मुख्यमंत्री जी के बारे में ऐस्पर्शन कास्ट कर चुके हैं अब ये आपके बारे में कहना चाहते हैं इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इनको अलाऊ न करें। We request you not allow to speak.

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Please resume your seat. You cannot cast aspersions on anybody and you are not at liberty to cast aspersions on the Chair also.

Shri Anil Vij : Sir, I am not casting asperions.

Mr. Speaker : If you got any complaint, then come and meet me in my Chamber. You cannot state in the House. Please resume your seat. Either you restrict yourself to discussion on B.A.C. or if you got any complaint then please meet me in my Chamber.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ बी०ए०सी० पर ही बोल रहा हूं पर मैं यह भी चाहता हूं इस सदन में सभी सदस्यों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए।

Mr. Speaker : Thank you. Sit down.

श्री अनिल विज : मेरा अनुरोध है कि कम से कम एक महीने का सत्र बुलाया जाए ताकि सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिल सके। आज सभी सदस्यों के क्वेशचन लगे हुए हैं। प्रदेश में बुरा हाल है। कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : You will have an opportunity to speak on Governor's Address. Now, please sit down.

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, यह जो बी०ए०सी० की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत हुई है इसमें छुट्टियां ज्यादा हैं और सिटिंग कम हैं। हाउस यदि नहीं चलाएंगे तो हम सदस्य कहां जाएंगे। आज प्रदेश में ज्वलंत समस्याएं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बी०ए०सी० की मीटिंग इसीलिए बुलाई जाती है ताकि सभी दल उसमें रिप्रजैंट कर सकें।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, उसके बाद B.A.C. की रिपोर्ट हाउस की मंजूरी के लिए यहां रखी जाती है और इसमें हम अपने विचार रख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका सुझाव है कि सदन का समय बढ़ाया जाए। O.K. your suggesstion has been noted. Please speak on the B.A.C. only. माजरा जी, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। गवर्नर साहब के ऐड्रेस पर आपको आपके मुद्दों पर बोलने का मौका दिया जाएगा।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, हमारी मांग है कि कम से कम दो महीने सैशन चलना चाहिए। हम लोग कठिनाइयों से बहुत अधिक लदे पड़े हैं। हमारी समस्याएं कौन हल करेगा। सारे प्रदेश में सड़कें टूटी पड़ी है। ***

श्री अध्यक्ष : अब राम पाल माजरा जी जो कुछ कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, they are making a background for walk-out to get it published in tomorrow's newspapers. That is the sole strategy. ये तो बैठते ही नहीं है अब ये जाने वाले हैं so that they get it printed in tomorrow's newspapers.

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : You are a senior member and I have noted your suggestion. Please sit down.

वाक-आऊटस

श्री रामपाल माजरा : यदि हाउस की सीटिंग नहीं बढ़ायी जाती है तो हम इसके विरोध में वाक आऊट करते हैं।

(इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के सदन में उपस्थित सभी सदस्य एवं शिरोमणि अकाली दल के एकमात्र सदस्य श्री चरणजीत सिंह सदन से वाक आऊट कर गए।)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, सदन की सीटिंग न बढ़ाए जाने के विरोध में हम भी सदन से ऐज ए प्रैटैस्ट वाक आऊट करते हैं।

(इस समय भारतीय जनता पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य एवं हरियाणा जनहित कांग्रेस (बी०एल०) की एकमात्र सदस्या श्रीमती रेणुका बिश्नोई सदन से वाक आऊट कर गए।)

कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट (पुनरारम्भण)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी कवायद है की बी०ए०सी० की मीटिंग में राजनीतिक दल एग्री होकर और अपनी सहमति जताने के बाद भी सदन से बाहर चले जाएं। इनका दुर्भाग्य यह है कि न तो ये पूरी तरह बाहर जाते हैं और न ही पूरी तरह अन्दर रहते हैं ये बीच में ही लटके हुए हैं।

Mr. Speaker : Motion moved-

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Question is-

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए/पुन: रखे गए कागज-पत्र

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will lay and re-lay papers on the Table of the House.

Parliamentary Affairs Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to lay on the Table of the House-

The Haryana Private Universities (Amendment) Ordinance, 2013 (Haryana Ordinance No. 1 of 2013).

The Haryana Rural Development (Amendment) Ordinance, 2013 (Haryana Ordinance No. 2 of 2013).

Sir, I also beg to re-lay on the Table of the House.

[Shri Randeep Singh Surjewala]

The Personnel Department Notification No. G.S.R.7/Const./Art.320/2011, dated the 30th March, 2012 regarding amendment in Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1973, as required under Article 320 (5) of the Constitution of India.

Sir, I also beg to re-lay on the Table of the House.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/5/2004/2nd Amendment/2012, dated the 21st June, 2012, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/26/2012, dated the 5th December, 2012, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Administrative Reforms Department Notification No. S.O. 99/ C.A.22/2005/S.27/2009, dated the 21st December, 2009, regarding the Haryana Right to Information Rules, 2009, as required under section 29 (2) of the Right to Information Act, 2005.

The Annual Report of Haryana State Electronics Development Corporation Limited for the year 2009-2010, as required under section 619-A (3)(b) of the Companies Act, 1956.

The Annual Report of Haryana State Electronics Development Corporation Limited for the year 2010-2011, as required under section 619-A (3)(b) of the Companies Act, 1956.

The Annual Report of Haryana State Pollution Control Board for the year 2007-2008, as required under section 39(2) of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

The Annual Report of Haryana State Pollution Control Board for the year 2009-2010, as required under section 39(2) of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

The Annual Report of Haryana Electricity Regulatory Commission for the year 2010-2011, as required under sections 104(4) and 105 (2) of the Electricity Act, 2003.

The Annual Report of Haryana Vidyut Prasaran Nigam Limited for the year 2010-2011, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The 12th Annual Report of Haryana Power Generation Corporation Limited, Panchkula for the year 2008-2009, as required under section 619-A (3)(b) of the Companies Act, 1956.

The 13th Annual Report of Haryana Power Generation Corporation Limited, Panchkula for the year 2009-2010, as required under section 619-A (3)(b) of the Companies Act, 1956.

The 37th Annual Report of Haryana Land Reclamation and Development Corporation Limited Panchkula for the year 2010-2011, as required under section 619 A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The Audit Report and Annual Accounts of Haryana State Agricultural Marketing Board, Panchkula for the year 2010-2011, as required under section 19-A(3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The 38th Annual Report of Haryana Seeds Development Corporation Limited Panchkula for the year 2011-2012, as required under section 619-A (3)(b) of the Companies Act, 1956.

The Annual Statement of Accounts of Housing Board, Haryana, Panchkula for the year 2009-2010, as required under section 19-A(3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The Annual Statement of Accounts of Housing Board, Haryana, Panchkula for the year 2010-2011, as required under section 19-A(3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

विशेषाधिकार मामले के संबंध में विशेषाधिकार समिति का प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना।

(i) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम०एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Dr. Raghuvir Singh Kadian, M.L.A., Chairperson, Committee of Privileges, will present the Sixth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Kuldeep Sharma, MLA, (now Hon'ble Speaker) against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made false statement on the floor of the House on 11th March, 2010 regarding imposing VAT on Salt which was made willfully, deliberately and knowingly by Shri Om Prakash Chautala, MLA thereby misleading the House and amounting to committing the contempt of the House/ breach of privilege by him and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Chairperson, Committee of Privileges (Dr. Raghuvir Singh Kadian) : Sir, I beg to present the Sixth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Kuldeep Sharma, MLA, (now Hon'ble Speaker) against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made false statement on the floor of the House on 11th March, 2010 regarding imposing VAT on Salt which was made willfully, deliberately and knowingly by Shri Om Prakash Chautala, MLA thereby misleading the House and amounting to committing the contempt of the House/breach of privilege by him.

Sir, I also beg to move-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is -

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

(ii) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम०एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Dr. Raghuvir Singh Kadian, M.L.A., Chairperson, Committee of Privileges, will present the Sixth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Bharat Bhushan Batra, MLA against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made false, misleading and incorrect statement on the floor of the House on 11th March, 2010 willfully, deliberately and knowingly stating that the Haryana Urban Development Authority had not acquired a single acre of land since coming into power of the Congress Government from March, 2005 till date. He has also stated that not even a single sector of HUDA had been floated during this period, whereas the Parliamentary Affairs Minister, Shri Randeep Singh Surjewala had pointed out the correct factual position but Shri Om Prakash Chautala again asserted that neither even a single sector of HUDA was floated nor a single acre of land was acquired by HUDA from March, 2005 till date. By doing so Shri Om Prakash Chautala has tried to mislead the House willfully, knowingly and deliberately which amounts to contempt of the House/Breach of Privilege committed by him on the floor of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 11th March, 2010, involves the question of breach of privilege/contempt of the House and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Chairperson, Committee of Privileges (Dr. Raghuvir Singh Kadian) : Sir, I beg to present the Sixth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Bharat Bhushan Batra, MLA against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made false, misleading and incorrect statement on the floor of the House on 11th March, 2010 willfully, deliberately and knowingly stating that the Haryana Urban Development Authority had not acquired a single acre of land since coming into power of the Congress Government from March, 2005 till date. He has also stated that not even a single sector of HUDA had been floated during this period, whereas the Parliamentary Affairs Minister, Shri Randeep Singh Surjewala had pointed out the correct factual position but Shri Om Prakash Chautala again asserted that neither even a single sector of HUDA was floated nor a single acre of land was acquired by HUDA from March, 2005 till date. By doing so Shri Om Prakash Chautala has tried to mislead the House willfully, knowingly and deliberately which amounts to contempt of the House/Breach of Privilege

committed by him on the floor of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 11th March, 2010, involves the question of breach of privilege/contempt of the House.

Sir, I also beg to move-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

(iii) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम०एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Dr. Raghuvir Singh Kadian, M.L.A., Chairperson, Committee of Privileges, will present the Sixth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Aftab Ahmed, MLA against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made categorically incorrect and misleading statement on the floor of the House on 11th March, 2010 stating that Reliance Company has been given 1500 acres of Government land at a cost of Rs. 370 crore in garb of giving employment, particularly when HSIIDC had acquired this land for welfare of the people. He further stated that a four acres chunk of land out of this acquired land has been auctioned for Rs. 290 crore. He consequently alleged loss to the exchequer and fraud on account thereof. He further stated that land of farmers was acquired in the name of 'SEZ' and they were told that they will be given bonus/annuity of Rs. 10,000/- per acre per year. He further stated that even a rupee has not been paid till date to any farmer by way of such bonus/annuity. Whereas the above statement of Shri Om Prakash Chautala is factually and absolutely incorrect. Shri Om Prakash Chautala has made a false, misleading and incorrect statement in the House on both the aforestated subjects. Shri Om Prakash Chautala made this statement willfully, deliberately and knowingly to mislead this august House. This constitutes a matter of clear breach of privilege of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 11th March, 2010, involves the question of breach of privilege/contempt of the House and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Chairperson, Committee of Privileges (Dr. Raghuvir Singh Kadian) : Sir, I beg to present the Sixth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Aftab Ahmed, MLA against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made

[Dr. Raghuvir Singh Kadian]

categorically incorrect and misleading statement on the floor of the House on 11 th March, 2010 stating that Reliance Company has been given 1500 acres of Government land at a cost of Rs. 370 crore in garb of giving employment, particularly when HSIIDC had acquired this land for welfare of the people. He further stated that a four acres chunk of land out of this acquired land has been auctioned for Rs. 290 crore. He consequently alleged loss to the exchequer and fraud on account thereof. He further stated that land of farmers was acquired in the name of 'SEZ' and they were told that they will be given bonus/annuity of Rs. 10,000/- per acre per year. He further stated that even a rupee has not been paid till date to any farmer by way of such bonus/annuity. Whereas the above statement of Shri Om Prakash Chautala is factually and absolutely incorrect. Shri Om Prakash Chautala has made a false, misleading and incorrect statement in the House on both the afore-stated subjects. Shri Om Prakash Chautala made this statement willfully, deliberately and knowingly to mislead this august House. This constitutes a matter of clear breach of privilege of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 11th March, 2010, involves the question of breach of privilege/contempt of the House.

Sir, I also beg to move-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

(iv) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम०एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, Dr. Raghuvir Singh Kadian, MLA, Chairperson, Committee of Privileges will present the Fifth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Kuldeep Sharma, MLA(now Hon'ble Speaker) against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made false, misleading and incorrect statement on the floor of the House on 6th September, 2010, stating that a news was being televised by some News Channels that in the car of Shri Gopal Kanda, Minister of State for Home, Haryana, a girl has been kidnapped and three men raped her. He further stated that Shri Gopal Kanda himself was driving the car and this car was owned by Shri Gopal Kanda. He also stated the number of car as HR-70-L-0009. He further stated that the girl was kidnapped from Delhi and was raped in Gurgaon. Therefore, the Government should resign. Whereas, the above statement of Shri Om Prakash Chautala is factually and absolutely incorrect. Shri

Om Prakash Chautala made a false, misleading and incorrect statement in the House. He made this statement willfully, deliberately and knowingly to mislead this august House. This constitutes a matter of clear breach of privilege of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 6th September, 2010, involves the question of breach of privilege/contempt of the House and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Chairperson, Committee of Privileges (Dr. Raghuvir Singh Kadian) : Sir, beg to present the Fifth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Kuldeep Sharma, MLA(now Hon'ble Speaker) against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made false, misleading and incorrect statement on the floor of the House on 6th September, 2010, stating that a news was being televised by some News Channels that in the car of Shri Gopal Kanda, Minister of State for Home, Haryana, a girl has been kidnapped and three men raped her. He further stated that Shri Gopal Kanda himself was driving the car and this car was owned by Shri Gopal Kanda. He also stated the number of car as HR-70-L-0009. He further stated that the girl was kidnapped from Delhi and was raped in Gurgaon. Therefore, the Government should resign. Whereas, the above statement of Shri Om Prakash Chautala is factually and absolutely incorrect. Shri Om Prakash Chautala made a false, misleading and incorrect statement in the House. He made this statement willfully, deliberately and knowingly to mislead this august House. This constitutes a matter of clear breach of privilege of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 6th September, 2010, involves the question of breach of privilege/contempt of the House.

Sir I also beg to move-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House is adjourned till 2.00 P.M. on Tuesday, the 26th February, 2013.

*16.26 hrs. (The Sabha then *adjourned till 2.00 P.M. on Tuesday, the 26th February, 2013.)

51108—H.V.S.—H.G.P., Chd.

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh